

फ्रंटलाइन खबर

शुभकामनाएं...

समस्त पाठकों एवं विज्ञापनदाताओं को रंगों के पर्व होली की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं.

अवकाश सूचना

होली पर्व के अवसर पर छत्तीसगढ़ फ्रंटलाइन कार्यालय में 04 व 05 मार्च 2026 को अवकाश रहेगा। अतः अगला अंक 07 मार्च को प्रकाशित होगा।
संपादक

ओवरब्रिज में काम कर रहा मजदूर सीढ़ी से गिरा, हो गई मौत

छ.ग.फ्रंटलाइन अम्बिकापुर। ओवरब्रिज में काम करते वक्त मजदूर युवक सीढ़ी से गिरकर जखमी हो गया, मेडिकल कॉलेज अस्पताल लाते वक्त उसकी मौत हो गई।

जानकारी के मुताबिक पलामू झारखंड निवासी राकेश सिंह पिता बिगन सिंह 18 वर्ष, 2 मार्च को रायगढ़ जिला के धरमजयगढ़ थाना अंतर्गत ग्राम कोयलार में ओवर ब्रिज निर्माण में काम करने के लिए गया था। इस दौरान सीढ़ी से अनियंत्रित होकर गिरने से उसे बाएं पैर, जांघ और सिर में गंभीर चोट आई थी। मौके पर मौजूद अन्य लोगों ने उसे धरमजयगढ़ स्वास्थ्य केन्द्र पहुंचाया। यहां से प्राथमिक उपचार के बाद स्थिति गंभीर देखते हुए चिकित्सक ने बेहतर उपचार के लिए युवक को रेफर कर दिया था। संजीवनी 108 एम्बुलेंस से घायल को मेडिकल कॉलेज अस्पताल अम्बिकापुर लाया गया, यहां सोमवार की शाम 5.30 बजे आपातकालीन चिकित्सा परिसर में जांच के बाद चिकित्सक ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने मृतक के शव को पोस्टमार्टम के बाद स्वजन के सुपुर्द कर दिया है।

ड्रिल मशीन से दीवार तोड़ते वक्त गिरने से घायल हुए मजदूर की मौत

छ.ग.फ्रंटलाइन अम्बिकापुर। ड्रिल मशीन से दीवार को तोड़ते वक्त राजमिस्त्री का काम करने वाला अथेडू नीचे गिर गया, मेडिकल कॉलेज अस्पताल में चिकित्सक ने उसे मृत घोषित कर दिया।

जानकारी के मुताबिक बलरामपुर थाना क्षेत्र के ग्राम भनौरा का मनोज पासवान पिता स्व. हूललाल पासवान 50 वर्ष राजमिस्त्री का काम करता था। दो मार्च को वह गांव के देव प्रसाद गुप्ता के यहां काम करने गया था और चाल्ही में चढ़कर ड्रिल मशीन से दीवार को तोड़ रहा था। इसी बीच वह अनियंत्रित होकर चाल्ही से नीचे गिर गया, जिसमें उसे सीने में गंभीर चोट आई थी और मुंह से खून निकल रहा था। मकान स्वामी ने अन्य लोगों के सहयोग से घायल राजमिस्त्री को जिला अस्पताल बलरामपुर पहुंचाया, यहां से प्राथमिक चिकित्सा के बाद उसकी स्थिति गंभीर देखते हुए चिकित्सक ने रेफर कर दिया था। स्वजन संजीवनी 108 एक्सप्रेस से पीड़ित को मेडिकल कॉलेज अस्पताल अम्बिकापुर लेकर पहुंचे, यहां आपातकालीन चिकित्सा परिसर में रात 9.15 बजे जांच के बाद चिकित्सक ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने मामले में मर्ग कायम किया है, और शव को पोस्टमार्टम के बाद स्वजन के सुपुर्द कर दिया है।

सूने मकान का ताला तोड़कर 50 हजार नकद और जेवरात चोरी

सीतापुर। थाना क्षेत्र के ग्राम देवगढ़ बरपारा में सूने मकान का ताला तोड़कर चोरों ने 50 हजार रुपये नकद और जेवरातों को पार कर दिया। खेती किसानी का काम करने वाले संजोत एक्का ने पुलिस को बताया है कि 01 मार्च को दिन में 11.30 बजे उसके पिता शिवराम एक्का बकरी चराने गए थे, और वह अपनी पत्नी वंदना एक्का के साथ घर में ताला बंद करके गांव से बड़ा मेहमानी में मानपुर प्रतापपुर गया था। दोपहर 2.30 बजे पड़ोसी दीपक टोप्पो ने फोन करके बताया कि उसके घर का ताला टूटा हुआ है, और अंदर रखा अलमारी, पेटी खुला हुआ है। घर का पूरा सामान अस्त-व्यस्त है। मानपुर प्रतापपुर से रात करीब 11.30 बजे जब वह अपने घर पहुंचा और सामानों का मिलान किया तो अलमारी में रखा नकद 50 हजार रुपये, चांदी का पायल सहित अन्य आभूषण नहीं था। रिपोर्ट पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है, और अग्रिम जांच, कार्रवाई कर रही है।

शहर में पुलिसिंग को लोग निशाने पर ले रहे हैं। होलिका दहन के दिन चप्पे-चप्पे पर पुलिस की तैनाती के बीच हुई चोरी की वारदात के बाद व्यापारियों ने रात्रि गश्त बढ़ाने और जल्द आरोपियों को गिरफ्तारी की मांग की है।

थाना प्रभारी ने कहा थाना प्रभारी विवेक सेंगर ने कहा कि चोरी का मामला संज्ञान में आने के बाद गंभीरता से जांच की जा रही है। दोनों प्रतिष्ठानों से चोरी गए सामानों की और नकद रकम की पड़ताल की जा रही है। संतोष गुप्ता के यहाँ 70 हजार रुपये चोरी की बात सामने आई है। चोरों को जल्द ही पकड़ लिया जाएगा।

सरगुजा में 12 राजस्व निरीक्षकों का तबादला, कलेक्टर ने जारी किया आदेश

छ.ग.फ्रंटलाइन अम्बिकापुर। जिला सरगुजा में प्रशासनिक दक्षता एवं राजस्व कार्यों के बेहतर संपादन के उद्देश्य से कलेक्टर अजीत वसंत द्वारा जिले में पदस्थ 12 राजस्व निरीक्षकों के स्थानांतरण आदेश जारी किए गए हैं। यह आदेश छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता एवं छत्तीसगढ़ भू-अभिलेख नियमावली के अंतर्गत प्रदत्त प्रावधानों के तहत लोकहित में जारी किया गया है। आदेश तत्काल प्रभावशील होगा। एक दिन पूर्व ही कलेक्टर ने 16 राजस्व निरीक्षकों का तबादला किया था। जारी आदेश के अनुसार जिन राजस्व निरीक्षकों को नवीन पदस्थापना सौंपी गई है, इनमें अखिलेश कुमार सिंह रा.नि.मं. अम्बिकापुर-1 से रा.नि.मं. राजापुर (मैनपाट), राजनन्दन राजवाड़े रा.नि.मं. अजिरमा से रा.नि.मं. लटोरी (लखनपुर), राजेन्द्र राम रा.नि.मं. गंगोली (धौरपुर) से रा.नि.मं. अम्बिकापुर-1, धर्मेश कुमार धर दुबे रा.नि.मं. (केदमा) उदयपुर से तहसील उदयपुर, अफताब अहमद रा.नि.मं. कुन्नी (लखनपुर) से रा.नि.मं. सीतापुर, धर्मजोत मिंज रा.नि.मं. लटोरी (लखनपुर) से रा.नि.मं. राजस्व निरीक्षक वर्कलोड, पुनी राम पैकरा रा.नि.मं. सीतापुर से राजस्व निरीक्षक नजूल, प्रेमशंकर राम रा.नि.मं. राजापुर से राजस्व निरीक्षक वर्कलोड, सुरेन्द्र कुमार कुजुर राजस्व निरीक्षक डायवर्सन से रा.नि.मं. कुन्नी (लखनपुर), हूल सिंह रा.नि.मं. राजस्व निरीक्षक डायवर्सन से रा.नि.मं. (केदमा) उदयपुर, राहुल सिंह, राजस्व निरीक्षक डायवर्सन से रा.नि.मं. गंगोली (धौरपुर) और कीर्ति सिंह कार्यलय भू-अभिलेख शाखा का राजस्व निरीक्षक नजूल में तबादला किया गया है। कलेक्टर ने सभी राजस्व अधिकारियों से अपने नवीन पदस्थापना स्थल पर शीघ्र कार्यभार ग्रहण करके राजस्व कार्यों का सुचारु संचालन सुनिश्चित करने निर्देशित किया है।

अंतर्राज्यीय शराब तरकर सहित 14 गिरफ्तार

1.17 लाख का अंग्रेजी व 12 लीटर महुआ शराब जप्त

छ.ग.फ्रंटलाइन सूरजपुर। जिले में होली से पहले अवैध शराब पर पुलिस की कार्रवाई लगातार जारी है। मंगलवार को थाना चांदनी पुलिस को मुखबिर् से सूचना मिली कि 2 मोटरसायकल में 4 व्यक्ति बड़ी मात्रा में अंग्रेजी शराब को मध्यप्रदेश से लेकर टाड़पाथर बिक्री करने जा रहे हैं। सूचना मिलते ही पुलिस टीम ग्राम बिहारपुर पुरानटोला में घेराबंदी कर मोटरसायकल क्रमांक सीजी 15 सीआर 6391 सहित संतकुमार सिंह व मिर्जा प्रसाद काशी टाड़पाथर थाना चांदनी को पकड़ा। इनके कब्जे से कुल 188 नग अंग्रेजी शराब कीमत 38,488 रुपये का जप्त किया गया। दोनों ही मामले में अंग्रेजी शराब व परिवहन में 2 मोटरसायकल जप्त कर धारा 34(2) आबकारी एक्ट के तहत कार्रवाई करके चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। इस कार्रवाई में थाना प्रभारी चांदनी रामप्रताप साहू, एएसआई क्षेत्रपाल सिंह, प्रधान आरक्षक भूपेन्द्र पोते, आरक्षक मंजीत सिंह, मुकेश साहू, आलोक सिंह, रणवीर सिंह, मंगलसाय राजवाड़े व भुवनेश्वर पाटले सक्रिय रहे। इसके पहले सोमवार को चौकी बसदेई पुलिस ने मुखबिर् से मिली सूचना पर ग्राम जूर, चौकी बसदेई निवासी बिहारीलाल साहू के कब्जे से बिक्री हेतु रखे गए 9 लीटर महुआ शराब को जप्त करके धारा 34(2) आबकारी एक्ट के तहत कार्रवाई की।



सोमवार को चौकी बसदेई पुलिस ने मुखबिर् से मिली सूचना पर ग्राम जूर, चौकी बसदेई निवासी बिहारीलाल साहू के कब्जे से बिक्री हेतु रखे गए 9 लीटर महुआ शराब को जप्त करके धारा 34(2) आबकारी एक्ट के तहत कार्रवाई की।



सोमवार को चौकी बसदेई पुलिस ने मुखबिर् से मिली सूचना पर ग्राम जूर, चौकी बसदेई निवासी बिहारीलाल साहू के कब्जे से बिक्री हेतु रखे गए 9 लीटर महुआ शराब को जप्त करके धारा 34(2) आबकारी एक्ट के तहत कार्रवाई की।

कार में मिला सात पेटी शराब

सोमवार को रात्रि में थाना सूरजपुर पुलिस के द्वारा चेक प्वाइंट लगाकर वाहनों की जांच की जा रही थी, इसी दौरान सेन्ट्रो कार क्रमांक सीजी 13 सी 1907 पहुंची, जिसमें 2 व्यक्ति कामेश्वर सिंह व दिलबोधन सिंह निवासी ग्राम निम्हा थाना उदयपुर मिले। कार की तलाशी लेने पर उसमें गोवा अंग्रेजी शराब 350 नग 7 पेटी, कीमत 42 हजार रुपये का पाया गया। मामले में अंग्रेजी शराब व परिवहन में प्रयुक्त कार को जप्त करके धारा 34(2) आबकारी एक्ट के तहत कार्रवाई की गई। पुलिस ने आरोपी कामेश्वर सिंह व दिलबोधन सिंह को गिरफ्तार किया गया है। कार्रवाई में थाना प्रभारी विमलेश दुबे, एएसआई सुमंत पाण्डेय व टीम सक्रिय रही।

शराब पीकर उपद्रव करने वाले 4 पकड़ाए

सार्वजनिक स्थान पर शराब पीकर उपद्रव करने पर थाना चांदनी द्वारा ग्राम नावाटोला निवासी रामप्रकाश विश्वकर्मा, थाना रामानुजनगर द्वारा ग्राम पम्पानगर के अमन सिंह, ग्राम गोरखनाथपुर निवासी विकास सिंह व शिवचरण पोते के विरुद्ध धारा 36(च)(1) आबकारी एक्ट के तहत कार्रवाई की गई। इस कार्रवाई में चौकी से 25 नग गोवा, थाना भटगांव प्रभारी बसदेई योगेन्द्र जायसवाल द्वारा ग्राम बैजनाथपुर निवासी व उनकी टीम सक्रिय रही। इसी चमरु राम से 3 लीटर महुआ शराब जप्त कर आबकारी एक्ट के तहत कार्रवाई की गई।

एक ही रात में दो दुकानों से लाखों का सामान पार, सीसीटीवी में कैद हुए चोर

ससुर के अंतिम संस्कार में शामिल होने जा रहे बाइक सवार की मालवाहक की ठोकर से मौत



छ.ग.फ्रंटलाइन अम्बिकापुर। सरगुजा जिला के बतौली थाना क्षेत्र के वाटिकापारा में सोमवार को देर रात अज्ञात चोरों ने दो दुकानों को निशाना बनाया। चोरों ने योगेश क्लॉथ स्टोर और जय माता दी एग्री का शटर तोड़कर नकदी सहित लाखों रुपये के सामान पर हाथ साफ कर दिया। बतौली नगर के हृदय स्थल में स्थित दुकानों में हुई चोरी की घटना से लोग परेशान हैं। चोरी की पूरी वारदात दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और फुटेज के आधार पर संदिग्धों की पहचान की कोशिश कर रही है। राष्ट्रीय राजमार्ग 43 से लगे जय माता दी एग्री के संचालक संतोष गुप्ता ने 70 हजार के चोरी की पुष्टि की है। चोर ने दुकान के काउंटर के लॉकर को पेंचकस से तोड़कर रकम पार किया है। संतोष गुप्ता दुकान के ऊपरी तल में परिवार सहित रहते हैं, जहां चोरों ने दुकान का शटर को तोड़कर बेखौफ चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। चोरों ने जय माता दी एग्री के सामने योगेश क्लॉथ से भी पैसा व कपड़ा चोरी किया है, चोरी कितने की हुई है, यह समाचार लिखे जाने तक अस्पष्ट है। घटना से वाटिकापारा सहित पूरे



सूने मकान का ताला तोड़कर 50 हजार नकद और जेवरात चोरी

सीतापुर। थाना क्षेत्र के ग्राम देवगढ़ बरपारा में सूने मकान का ताला तोड़कर चोरों ने 50 हजार रुपये नकद और जेवरातों को पार कर दिया। खेती किसानी का काम करने वाले संजोत एक्का ने पुलिस को बताया है कि 01 मार्च को दिन में 11.30 बजे उसके पिता शिवराम एक्का बकरी चराने गए थे, और वह अपनी पत्नी वंदना एक्का के साथ घर में ताला बंद करके गांव से बड़ा मेहमानी में मानपुर प्रतापपुर गया था। दोपहर 2.30 बजे पड़ोसी दीपक टोप्पो ने फोन करके बताया कि उसके घर का ताला टूटा हुआ है, और अंदर रखा अलमारी, पेटी खुला हुआ है। घर का पूरा सामान अस्त-व्यस्त है। मानपुर प्रतापपुर से रात करीब 11.30 बजे जब वह अपने घर पहुंचा और सामानों का मिलान किया तो अलमारी में रखा नकद 50 हजार रुपये, चांदी का पायल सहित अन्य आभूषण नहीं था। रिपोर्ट पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है, और अग्रिम जांच, कार्रवाई कर रही है।

शहर में पुलिसिंग को लोग निशाने पर ले रहे हैं। होलिका दहन के दिन चप्पे-चप्पे पर पुलिस की तैनाती के बीच हुई चोरी की वारदात के बाद व्यापारियों ने रात्रि गश्त बढ़ाने और जल्द आरोपियों को गिरफ्तारी की मांग की है।

थाना प्रभारी ने कहा थाना प्रभारी विवेक सेंगर ने कहा कि चोरी का मामला संज्ञान में आने के बाद गंभीरता से जांच की जा रही है। दोनों प्रतिष्ठानों से चोरी गए सामानों की और नकद रकम की पड़ताल की जा रही है। संतोष गुप्ता के यहाँ 70 हजार रुपये चोरी की बात सामने आई है। चोरों को जल्द ही पकड़ लिया जाएगा।

पत्नी और पुत्र का गंभीर स्थिति में मेडिकल कॉलेज अस्पताल में चल रहा उपचार

छ.ग.फ्रंटलाइन अम्बिकापुर। सीतापुर थाना क्षेत्र के जामढोही में सोमवार को मिनी मालवाहक ने मोटरसायकल सवार को टक्कर मार दी। दुर्घटना में बाइक चला रहा युवक, उसकी पत्नी व पुत्र घायल हो गए। तीनों को सीतापुर अस्पताल से रेफर करने पर अम्बिकापुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया था। यहां इलाज के दौरान युवक की मौत हो गई। मृतक अपनी पत्नी व पुत्र के साथ ससुर के अंतिम संस्कार में शामिल होने जा रहा था। जानकारी के अनुसार प्रमोद

कुमार पिता स्व. उजित कुमार 31 वर्ष कोरबा जिले के रामपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम शंकरनगर फांडड़ी एरिया का रहने वाला था। दो मार्च को वह अपने ससुर के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए पत्नी बसंती व 4 वर्षीय पुत्र के साथ मोटरसायकल से जशपुर जिले के पंडरापाठ चौकी के ग्राम दनगरी जाने के लिए निकला था। रास्ते में सीतापुर थाना क्षेत्र के जामढोही के पास छोटा हाथी क्रमांक सीजी 14 एवी 2693 से हुई टक्कर में तीनों घायल हो गए थे। घायल 112 की टीम ने इन्हें सीतापुर स्वास्थ्य केन्द्र पहुंचाया। दुर्घटना में तीनों घायल हो गए थे। प्राथमिक उपचार के बाद रेफर करने पर पुलिस ने घटना की जानकारी स्वजन को दी। संजीवनी 108 एम्बुलेंस से इन्हें मेडिकल कॉलेज अस्पताल अम्बिकापुर लाया गया, यहां शाम को लगभग 6.15 बजे प्रमोद की मौत हो गई। घायल पत्नी और पुत्र को भी दुर्घटना में गंभीर चोटें आई हैं, इनका उपचार चल रहा है। घटना से स्वजन में शोक का माहौल है। पुलिस ने मामले में मर्ग कायम करके मृतक के शव का पोस्टमार्टम कराया है।

आबकारी विभाग की टीम ने अंतरराज्यीय मदिरा जप्त किया

छ.ग.फ्रंटलाइन अम्बिकापुर। जिले में अवैध मदिरा के परिवहन एवं संग्रहण पर प्रभावी अंकुश लगाने के उद्देश्य से आबकारी विभाग द्वारा सघन अभियान चलाया जा रहा है। आबकारी आयुक्त श्रीमती आर. संगीता एवं कलेक्टर अजित वसंत के निर्देशानुसार जिला आबकारी अधिकारी एल.के. गायकवाड़ के मार्गदर्शन में विशेष कार्रवाई की गई। मुखबिर् से प्राप्त सूचना के आधार पर आबकारी वृत्त केदारपुर ने अम्बिकापुर क्षेत्र में दबिश दी। कार्रवाई के दौरान आरोपी सरप्रति सिंह (30 वर्ष) निवासी केदारपुर वार्ड क्रमांक 24, थाना कोतवाली अम्बिकापुर, के कब्जे से मध्य प्रदेश एवं हरियाणा राज्य का लेबल लगा विभिन्न ब्रांड की कुल 16.260 लीटर विदेशी मदिरा जप्त की गई। प्रारंभिक जांच में अवैध रूप से मदिरा का संग्रहण किया जाना पाया गया। प्रकरण में छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम की धारा 34(1)(क), 34(2), 36 एवं 59(क) के तहत



अपराध पंजीबद्ध कर आरोपी को गिरफ्तार करके न्यायिक रिमांड पर भेजा गया। कार्रवाई में सहायक जिला आबकारी अधिकारी शीला बड़ा, आबकारी उप निरीक्षक अनिल कुमार गुप्ता सहित विभागीय टीम के अन्य अधिकारियों एवं कर्मचारियों की सक्रिय भूमिका रही। जिला आबकारी विभाग ने स्पष्ट किया है कि अवैध मदिरा के विरुद्ध अभियान आगे भी निरंतर जारी रहेगा तथा दोषियों को विरुद्ध कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

(वालाजी क्लीनिक)
मददासी दवाखाना
Reg. No. Cg03026 ISO 9001: 2015 CERTIFIED

बादी एवं सूती बचासीर, नासूर, भंगीर, फीसर एवं कांच (गुदा) का क्षार सूत्र से, एवं अंतों की बीमारियों जैसे पेट का भारीपन, गैस, कब्ज, पुरुष और स्त्री के गुप्त रोगों का आयुर्वेदिक उपचार किया जाता है।

डॉ. के.एम. राव
एम.एस.(आयु) शल्य
भूतपूर्व प्राध्यापक शल्य विभाग
शासकीय आयुर्वेद कॉलेज अहमदाबाद

समय - सोमवार से शनिवार, सुबह 10 से 2, शाम 8 से 7:30
रविवार सुबह 10 से 2, शाम को बंद रहेगा

बिलासपुर रोड, बिलासपुर चौक, अम्बिकापुर मो. 90099-56307

TOOTH FAIRY'S
DENTAL & SKIN CARE

इसका प्रस्ताव:-
1. थोड़े थोड़े टाइम से सौंदर्य प्रिय रहें।
2. इसका से क्लिफ टाइम लाने के लिये।
3. जमान सौंदर्य टाइम और बड़े का टाइम सेट करके क्लिफ टाइम लाने।
4. तब तक बचक का टाइम हीट है।

Skin Treatment: 1. Deep Cleanse with steam, 2. Exfoliation with scrub, 3. Moisturizing with cream, 4. Sun Protection with SPF.

Dental Treatment: 1. Dental check-up, 2. Scaling and polishing, 3. X-ray, 4. Filling, 5. Root canal, 6. Crown, 7. Bridge, 8. Denture, 9. Orthodontics, 10. Implant.

Dr. Priyanka Agrawal
DENTAL & SKIN CARE

122581 25222, 82869 88396 | चार - सुदी वीर, चर्च वीर, हीरो प्रिंसिपल टोपिन | कलकत्ता अंतर्गत अम्बिकापुर, अम्बिकापुर, अम्बिकापुर (ग.प.)

लहलहाती फसल को अज्ञात शरारती तत्वों ने लगाई आग, हजारों की क्षति

प्रतिनिधि छ.ग. फ्रंटलाइन विश्रामपुर। ग्राम पंचायत कसकेला के पूर्व सरपंच राम प्रसाद पैकरा के ग्राम जुड़वानी स्थित फार्म हाउस में सोमवार को हुई आगजनी की घटना ने पूरे क्षेत्र को झकझोर कर रख दिया है। दोपहर को तेज धूप के बीच अचानक उठी आग की लपटों ने करीब एक एकड़ में तैयार खड़ी गन्ने की फसल को कुछ ही मिनटों में राख में तब्दील कर दिया। घटना को अज्ञात असामाजिक तत्वों की करतूत बताया जा रहा है, जिससे किसानों में आक्रोश व्याप्त है। जानकारी के मुताबिक खेत में लगी गन्ने की फसल पूरी तरह तैयार थी। कटाई की तैयारी चल रही थी और आने वाले दिनों में उसे मंडी ले जाया



जाना था। परिवार को अच्छी आमदनी की उम्मीद थी। लेकिन सोमवार दोपहर अचानक खेत की एक ओर से

गन्ने की सूखी पत्तियों ने आग को और भड़काया, जिससे आग बुझाना बेहद मुश्किल हो गया। कुछ ही समय में हरे-भरे खेत

ट्यूबवेल भी क्षतिग्रस्त हो गया। ट्यूबवेल में लगा स्टार्टर, विद्युत केबल, मोटर से जुड़ी तारें और खेत में बिछाई गई पाइप लाइन जलकर खाक हो गई। प्रारंभिक अनुमान के अनुसार हजारों रुपए का नुकसान हुआ है, हालांकि वास्तविक आंकलन राजस्व विभाग के सर्वे के बाद सामने आएगा। घटना की सूचना मिलते ही आसपास के ग्रामीण मौके पर पहुंच गए। बाल्टियों, मोटर पंप और उपलब्ध संसाधनों से आग बुझाने का प्रयास शुरू किया गया। काफी मशकत के बाद आग पर काबू पाया गया। ग्रामीणों का कहना है कि यदि कुछ देर और आग भड़कती रहती तो आसपास के अन्य खेत भी इसकी चपेट में आ सकते

थे, जिससे बड़ा नुकसान हो सकता था। पीड़ित किसान राम प्रसाद पैकरा ने घटना को सुनियोजित शरारत बताते हुए निष्पक्ष जांच की मांग की है। उनका कहना है कि फसल पूरी तरह तैयार थी और ऐसे समय में अचानक आग लगना संदेहास्पद है। उन्होंने लटोरी पुलिस से दोषियों की पहचान कर कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। साथ ही उन्होंने शासन-प्रशासन से नुकसान का तत्काल सर्वे कराकर उचित मुआवजा देने की अपील की है, ताकि दोबारा खेती की व्यवस्था की जा सके। उनका कहना है कि एक किसान के लिए पूरी फसल का इस तरह जल जाना आर्थिक और मानसिक दोनों रूप से बड़ा आघात है।

कर लिया था। कठिन प्रतिस्पर्धा और लंबे अध्ययन के दौर के बावजूद उन्होंने कभी हार नहीं मानी। परिवार का सहयोग और शिक्षकों का मार्गदर्शन उनके लिए प्रेरणा का स्रोत बना। पुत्र की सफलता पर पिता श्याम सुंदर गर्ग ने कहा कि यह पल उनके जीवन का सबसे गर्वित क्षण है। उन्होंने बताया कि चाहते हैं कि फसल तैयार हो जाए और यह प्रेरणादायक है। छोटे शहरों से निकलकर राष्ट्रीय स्तर की परीक्षाओं में सफलता प्राप्त करने वाले युवा यह साबित कर रहे हैं कि संसाधनों की कमी सफलता में बाधा नहीं बनती, यदि लक्ष्य स्पष्ट और मेहनत सच्ची हो।

1 लाख कच्ची ईंट के साथ 25 टन कोयला जब्त

बलरामपुर, छ.ग. फ्रंटलाइन। प्रशासन द्वारा जिले में अवैध संचालित ईंट भट्टों पर लगातार कार्यवाही की जा रही है। इसी कड़ी में विकासखण्ड शंकरगढ़ में अवैध रूप से संचालित ईंट निर्माण गतिविधियों पर कार्यवाही करते हुए लगभग 1 लाख अवैध कच्ची ईंटें व 25 टन कोयला जब्त की गई हैं।

कलेक्टर श्री राजेन्द्र कटारा के निर्देशन में अवैध गतिविधियों पर लगातार कार्यवाही की जा रही है। इसी कड़ी में अनुविभागीय अधिकारी शंकरगढ़ श्री विवेक अनमोल टोप्यो के नेतृत्व में राजस्व, खनिज एवं वन विभाग की संयुक्त टीम के द्वारा अवैध कच्चा ईंट लगभग 1 लाख जब्त कर कार्यवाही की गई। जांच में पाया गया कि मथुरा राम के निजी भूमि पर खनिज मिट्टी उत्खनन कर ईंट निर्माण किया जाना पाया गया। साथ ही ईंट को पकाने के लिए 25 टन कोयला का उपयोग करना भी पाया गया। बिना वैध दस्तावेज और सक्षम अनुमति के बिना उक्त कार्य किया जा रहा था। इस अवैध संचालन करने पर जब्त करने की कार्यवाही की गई।

पहले ही प्रयास में सीए बनकर चाहत ने बढ़ाया कोयलांचल का मान

प्रतिनिधि छ.ग. फ्रंटलाइन विश्रामपुर। छोटे शहरों से निकलकर बड़े सपनों को सच करने की मिसाल पेश करते हुए नगर के मुख्य बाजार स्थित महालक्ष्मी फर्नीचर एवं इलेक्ट्रॉनिक दुकान के संचालक श्याम सुंदर गर्ग के पुत्र चाहत गर्ग ने प्रथम प्रयास में ही चार्टर्ड अकाउंटेंट सीए की कठिन परीक्षा उत्तीर्ण कर गौरवान्वित किया है। उनकी इस उपलब्धि से पूरे नगर में हर्ष का माहौल है। चार्टर्ड अकाउंटेंट की परीक्षा को देश की सबसे कठिन पेशेवर परीक्षाओं में गिना जाता है। ऐसे में पहले ही प्रयास में सफलता प्राप्त करना न केवल प्रतिभा, बल्कि अनुशासन, धैर्य और

निरंतर मेहनत का प्रमाण है। चाहत ने अपनी लगन और आत्मविश्वास के दम पर यह मुकाम हासिल किया है। ज्ञात हो

कर लिया था। कठिन प्रतिस्पर्धा और लंबे अध्ययन के दौर के बावजूद उन्होंने कभी हार नहीं मानी। परिवार का सहयोग और शिक्षकों का मार्गदर्शन उनके लिए प्रेरणा का स्रोत बना। पुत्र की सफलता पर पिता श्याम सुंदर गर्ग ने कहा कि यह पल उनके जीवन का सबसे गर्वित क्षण है। उन्होंने बताया कि चाहते हैं कि फसल तैयार हो जाए और यह प्रेरणादायक है। छोटे शहरों से निकलकर राष्ट्रीय स्तर की परीक्षाओं में सफलता प्राप्त करने वाले युवा यह साबित कर रहे हैं कि संसाधनों की कमी सफलता में बाधा नहीं बनती, यदि लक्ष्य स्पष्ट और मेहनत सच्ची हो।

कार्यसंस्कृति और सामाजिक संबंधों को मजबूत करता है होली



प्रतिनिधि छ.ग. फ्रंटलाइन विश्रामपुर। नगर के लाल मैदान में एटक द्वारा सपरिवार, होली मिलन का आयोजन किया गया। दरअसल बुराई पर अच्छाई की जीत के साथ अनेकता में एकता का संदेश के तहत संयुक्त कोयला मजदूर संघ एटक द्वारा क्षेत्रीय कार्यालय के समक्ष स्थित लाल मैदान में 2 मार्च सोमवार को पारंपरिक हर्षोल्लास के साथ होलिका दहन एवं सपरिवार होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। इस आयोजन में कोयला श्रमिकों के साथ-साथ उनके परिजनों और नगरवासियों ने बड़ी संख्या में शिरकत कर आपसी भाईचारे की मिसाल पेश की। कार्यक्रम का शुभारंभ क्षेत्रीय महाप्रबंधक डॉ. संजय सिंह की उपस्थिति में हुआ। आयोजन में संगठन के केंद्रीय नेतृत्व और प्रशासनिक

अधिकारियों का जमावड़ा रहा, जिनमें मुख्य रूप से अजय विश्वकर्मा केंद्रीय महासचिव, एटक, बी धर्माराम केंद्रीय उपमहासचिव, श्रीमती निर्मला यादव अध्यक्ष नगर पंचायत विश्रामपुर, राजेश यादव, दीपेन्द्र सिंह चौहान उपाध्यक्ष नप विश्रामपुर, एसकेपी शिंदे क्षेत्रीय कार्यालय के प्रबंधक, हेमन्त तिवारी, राजेंद्र गुप्ता एवं माहकुल उपस्थित रहे। होलिका दहन पश्चात वातावरण उत्सव के रंगों में सराबोर हो गया। आयोजन की खास बात महिलाओं और बच्चों के लिए आयोजित विशेष प्रतियोगिताएं रहीं। खेलकूद और अन्य मनोरंजक गतिविधियों में बच्चों ने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया, वहीं महिलाओं ने भी बड़े-चढ़कर हिस्सा लिया। सभी सफल प्रतिभागियों को अतिथियों के हाथों सम्मानित किया गया।

समारोह को संबोधित करते हुए केंद्रीय महासचिव अजय विश्वकर्मा ने वर्तमान सामाजिक परिवेश पर प्रकाश डालते हुए कहा कि आज के इस विद्वेषपूर्ण और तनावपूर्ण माहौल में होली जैसा त्योहार हमें अपनी कड़वाहट भुलाकर एक होने की प्रेरणा देता है। यह उत्सव केवल रंगों का मेल नहीं, बल्कि अनेकता में एकता का जीवंत संदेश है। आयोजन में एटक संगठन के पदाधिकारियों के साथ-साथ बड़ी संख्या में नगरवासी भी शामिल हुए। गुलाल और मिठाइयों के साथ सभी ने एक-दूसरे को होली की शुभकामनाएं दीं। क्षेत्रीय महाप्रबंधक डॉ. संजय सिंह ने भी श्रमिकों के इस प्रयास की सराहना करते हुए इसे कार्यसंस्कृति और सामाजिक संबंधों को मजबूत करने वाला कदम बताया।

जिला स्तरीय समाधान शिविर 12 एवं 27 मार्च को

बलरामपुर, छ.ग. फ्रंटलाइन। राज्य शासन द्वारा संचालित विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ आमजन तक सुगमता एवं समयबद्ध रूप से पहुंचाने तथा योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से जिले के विकासखण्डों में समाधान शिविर आयोजित किया जाना है। जिसके लिए कलेक्टर राजेन्द्र कटारा ने जिला पंचायत सीईओ श्रीमती नयनतारा सिंह तोमर को जिला स्तरीय नोडल अधिकारी एवं अपर कलेक्टर श्री चेतन बोरखरिया को जिला स्तरीय सहायक नोडल अधिकारी नियुक्त किया है। जिला स्तरीय समाधान शिविर प्रत्येक विकासखण्ड में आयोजित किया जाएगा। जिसके अंतर्गत मार्च 2026 में जिला स्तरीय समाधान

शिविर निर्धारित तिथियों को आयोजित होगा। विकासखण्ड वाडफनगर में 12 मार्च 2026 को विकासखण्ड वाडफनगर के ग्राम पंचायत बरतीकला के हाई स्कूल मैदान में आयोजित होगा। जिसके लिए अनुविभागीय अधिकारी वाडफनगर श्री नीरनिधि चेहेड़ा को नोडल एवं जनपद पंचायत सीईओ श्री निजामुद्दीन को सहायक नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। इसी प्रकार 27 मार्च 2026 को विकासखण्ड रामचंद्रपुर के प्राथमिक शाला प्रांगण में शिविर आयोजित होगा। इसके लिए अनुविभागीय अधिकारी श्री आनंद नर नेताम को नोडल एवं जनपद सीईओ श्री रणवीर साय को सहायक नोडल अधिकारी बनाया गया है।

शिविर निर्धारित तिथियों को आयोजित होगा। विकासखण्ड वाडफनगर के ग्राम पंचायत बरतीकला के हाई स्कूल मैदान में आयोजित होगा। जिसके लिए अनुविभागीय अधिकारी वाडफनगर श्री नीरनिधि चेहेड़ा को नोडल एवं जनपद पंचायत सीईओ श्री निजामुद्दीन को सहायक नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। इसी प्रकार 27 मार्च 2026 को विकासखण्ड रामचंद्रपुर के प्राथमिक शाला प्रांगण में शिविर आयोजित होगा। इसके लिए अनुविभागीय अधिकारी श्री आनंद नर नेताम को नोडल एवं जनपद सीईओ श्री रणवीर साय को सहायक नोडल अधिकारी बनाया गया है।

शराब के नशे में मदमस्त होकर स्कूल आने वाले सहायक शिक्षक निर्लांबित

प्रतिनिधि छ.ग. फ्रंटलाइन सूरजपुर। जिले के प्रतापपुर क्षेत्रांतर्गत शासकीय प्राथमिक शाला सरईडांड बोंगा में पदस्थ सहायक शिक्षक रोशन लाल उरांव को शराब के नशे में विद्यालय आने के आरोप में मंगलवार को तत्काल प्रभाव से निर्लांबित कर दिया गया है। उक्त कार्रवाई कलेक्टर एस. जयवर्धन के निर्देश एवं जिला शिक्षा अधिकारी अजय मिश्रा के आदेश पर की गई है। मामले की पुष्टि एक वायरल वीडियो से हुई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार, श्री उरांव प्रतिदिन शराब का सेवन कर विद्यालय में उपस्थित हो रहे थे, जिससे अध्ययन अध्यापन कार्य प्रभावित हो रहा था तथा छात्रों के मनोभाव पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा था। जिसके कारण छत्तीसगढ़ सिविल सेवा नियम 1966 के

नियम 9 के तहत उन्हें सेवा से निर्लांबित किया गया है। निर्लांबन अवधि में उनका मुख्यालय विकासखण्ड शिक्षा कार्यालय प्रेमनगर नियत किया गया है। इस अवधि में उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता प्रदान किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि उक्त शिक्षक का विगत माह वेतन वृद्धि भी रोकी गई थी। संकुल शैक्षिक समन्वयक, संकुल केन्द्र बोंगा एवं ग्राम पंचायत बोंगा के सरपंच द्वारा विगत माह विद्यालय का निरीक्षण किए गए और शिक्षक के नशे में पाए जाने की पुष्टि हुई। इस निरीक्षण रिपोर्ट के आधार पर बीईओ प्रतापपुर द्वारा संबंधित शिक्षक को कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया और कोई जवाब प्रस्तुत नहीं करने पर उसे कर्तव्य के प्रति घोर लापरवाही, एवं

अनुशासनहीनता माना गया, और छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 3 के उल्लंघन का दोषी मानते हुए आगामी दो वार्षिक वेतन वृद्धि भी असंचयीत रूप से अवरुद्ध कर दी गई थी। इस सम्बन्ध में कलेक्टर एस. जयवर्धन ने शिक्षा विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया है कि विद्यार्थियों को शिक्षा देने में लापरवाही बरतने वाले, विद्यालय में अनुपस्थित रहने वाले और नशा करके विद्यालय पहुंचने वाले शिक्षकों पर कड़ी कार्यवाही की जाएगी। उन्होंने स्पष्ट किया है कि विद्यार्थियों के भविष्य के प्रति किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और लापरवाही बरतने पर जिम्मेदार शिक्षकों को त्वरित कार्यवाही कर निर्लांबन, वेतन वृद्धि अवरुद्ध करने जैसे कठोर दंड से दंडित किया जाएगा।

जनगणना हेतु प्रगणकों एवं पर्यवेक्षकों को दिया गया प्रशिक्षण

प्रतिनिधि छ.ग. फ्रंटलाइन सूरजपुर। जिले के ओड़गी तहसील कार्यालय में मंगलवार को जनगणना कार्य के सफल संचालन के लिए नियुक्त प्रगणकों एवं पर्यवेक्षकों की बैठक आयोजित कर उन्हें प्रारंभिक प्रशिक्षण प्रदान किया गया।

प्रशिक्षण महाभियान संगठन की रीढ़ को सुदृढ़ करने का प्रभावी माध्यम : चिंतामणि

पं. दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण महाभियान-2026 की हुई संभागीय प्रशिक्षण कार्यशाला

प्रतिनिधि छ.ग. फ्रंटलाइन सूरजपुर। यहां भाजपा जिला कार्यालय में आयोजित पं. दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण महाभियान के अंतर्गत संभागीय कार्यशाला उत्साह, ऊर्जा और संगठनात्मक संकल्प के साथ सम्पन्न हुई। सरगुजा संभाग के जनप्रतिनिधियों, पदाधिकारियों एवं वरिष्ठ कार्यकर्ताओं की प्रभावी उपस्थिति ने कार्यक्रम को ऐतिहासिक आयाम प्रदान किया। यह कार्यशाला संगठन की वैचारिक मजबूती, बूथ सशक्तिकरण के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जा रही है। उद्घाटन सत्र में सांसद चिंतामणि महाराज ने

वास्तविक शक्ति है। संगठनात्मक और तकनीकी रूप से सशक्त बनाने की दिशा में मील का पत्थर सिद्ध होगा। **भाजपा का सांस्कृतिक राष्ट्रवाद न संकीर्ण है न विभाजक** द्वितीय सत्र में वरिष्ठ भाजपा नेता सच्चिदानंद उपासने वन

मोडिया सक्रियता को अभियान का मुख्य आधार बनाया जाएगा। वेक्ताओं ने कहा कि प्रशिक्षण महाभियान कार्यकर्ताओं को वैचारिक, संगठनात्मक और तकनीकी रूप से सशक्त बनाने की दिशा में मील का पत्थर सिद्ध होगा। उन्होंने जोर दिया कि आगामी

श्रीमती उद्देश्वरी पैकरा भाजपा जिला अध्यक्ष मुसली मोहोर सोनी सहित संगठन के सभी भाजपा विधायक, जिलाध्यक्ष, महामंत्री एवं वरिष्ठ नेतागण उपस्थित रहे। संगठन सुदृढ़ीकरण के मुख्य बिंदुओं में बूथ स्तर तक संगठन विस्तार, विचारधारा आधारित प्रशिक्षण, डिजिटल संवाद एवं सोशल मीडिया सक्रियता, केंद्र व राज्य सरकार की योजनाओं का प्रभावी प्रचार, युवा एवं महिला कार्यकर्ताओं की सक्रिय भागीदारी, आगामी चुनावी रणनीति पर प्रारंभिक मंथन महत्वपूर्ण रहे। कार्यक्रम के अंत में सभी कार्यकर्ताओं ने संगठन को और अधिक सशक्त एवं सक्रिय बनाने का संकल्प लिया। यह संभागीय कार्यशाला न केवल प्रशिक्षण का मंच बनी, बल्कि भाजपा के संगठनात्मक विस्तार, वैचारिक स्पष्टता और जनसंपर्क सुदृढ़ीकरण का प्रभावी सूत्र भी सिद्ध हुई। यह कार्यशाला आगामी चुनावी एवं संगठनात्मक अभियानों के लिए दिशा-निर्देशक और प्रेरणास्रोत साबित होगी।

जिला में नई गाइडलाइन दरें 26 से हैं प्रभावशील

प्रतिनिधि छ.ग. फ्रंटलाइन सूरजपुर। छत्तीसगढ़ में संपत्ति के पंजीयन एवं मूल्यांकन प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी एवं व्यवहारिक बनाने की दिशा में राज्य शासन द्वारा लगातार कदम उठाए जा रहे हैं। इसी क्रम में 20 नवम्बर 2025 से लागू नवीन गाइडलाइन दरों के संबंध में आवश्यकता अनुसार पुनरीक्षण हेतु जिला मूल्यांकन समितियों को प्रस्ताव भेजने के निर्देश दिए गए थे। शासन के निर्देशों के अनुरूप जिला मूल्यांकन समितियों द्वारा संशोधित प्रस्ताव प्रस्तुत किए गए। इन प्रस्तावों पर विचार-विमर्श के लिए 'छत्तीसगढ़ गाइडलाइन दरों का निर्धारण नियम, 2000' के प्रावधानों के

तहत केन्द्रीय मूल्यांकन बोर्ड की बैठक, महानिरीक्षक पंजीयन की अध्यक्षता में आयोजित की गई, जिसमें प्राप्त प्रस्तावित गाइडलाइन दरों का परीक्षण किया गया। समग्र समीक्षा एवं चर्चा के उपरांत केन्द्रीय मूल्यांकन बोर्ड ने जिला सूरजपुर द्वारा प्राप्त गाइडलाइन दरों के प्रस्ताव को अनुमोदित कर दिया है। इसके साथ ही 26 फरवरी से सूरजपुर जिले के लिये नवीन गाइडलाइन दर लागू व प्रभावशील हो गई है। आम नागरिक एवं संबंधित हितधारक नवीन दरों की विस्तृत जानकारी संबंधित जिला पंजीयन कार्यालय तथा विभाग की आधिकारिक वेबसाइट से प्राप्त कर सकते हैं।

गहरी निद्रा से जागा प्रशासन, जिले में रात्रि 10 से प्रातः 6 बजे तक ध्वनि विस्तारक यंत्रों पर प्रतिबंध

प्रतिनिधि छ.ग. फ्रंटलाइन सूरजपुर। गहरी निद्रा से जागे जिला प्रशासन द्वारा अब जब 10 वीं एवं 12वीं को बोर्ड परीक्षाएं अपने अंतिम पड़ाव पर है, तब आदेश जारी कर जिले में ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग पर रात्रि 10 से सुबह 6 बजे तक के लिए पूर्णतः प्रतिबंध लगाया गया है। बताया गया है कि कलेक्टर एस. जयवर्धन के आदेशानुसार छत्तीसगढ़ कोलाहल नियंत्रण अधिनियम 1985 की धारा 18 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए ध्वनि विस्तारक यंत्र का चलाया या चलवाया जाना प्रतिबंधित करने का निर्देश दिया गया है। विद्यार्थियों की शालेय परीक्षाओं और महाविद्यालयीन परीक्षाओं को दृष्टिगत रखते हुए या निर्णय लिया गया है। आम जनता द्वारा ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग मानक सीमा से अधिक आवाज में किये जाने से विद्यार्थियों के पढ़ाई में व्यवधान उत्पन्न होता है। इसके अतिरिक्त बुजुर्ग, दुर्बल एवं बीमार व्यक्ति चाहे वे किसी संस्था, अस्पताल या घर में हो, तो अत्यधिक परेशानी होती है। इन परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए ध्वनि विस्तारक यंत्रों का मनमानी तरीके से उपयोग की सुविधा नहीं दी जा सकती है। जिला मजिस्ट्रेट, विशेष परिस्थितियों में क्षेत्र के अनुविभागीय दण्डाधिकारी से अनुमति प्राप्त कर धीमी आवाज में लाउडस्पीकर का उपयोग किया जा सकता है, किन्तु रात्रि 10 से प्रातः 6 बजे के मध्य ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग पूर्णतः प्रतिबंधित रखा जायेगा।

उक्त बैठक के दौरान जनगणना कार्य की प्रक्रिया, मकान सूचीकरण एवं निर्धारित प्रपत्रों के सही भराव संबंधी विस्तृत जानकारी दी गई। अधिकारियों ने बताया कि जनगणना एक महत्वपूर्ण राष्ट्रीय कार्य है, जिसमें शत-प्रतिशत शुद्धता एवं पारदर्शिता अत्यंत आवश्यक है। प्रशिक्षण में प्रगणकों एवं पर्यवेक्षकों को सही जानकारी संकलित करने के दिशा निर्देश दिए गए।

विास निगम के अध्यक्ष राम सेवक पैकरा छत्तीसगढ़ खाद्य आयोग के अध्यक्ष संदीप शर्मा, प्रदेश आई टी सेल संयोजक सुनील पिह्लई, जिला संगठन प्रभारी शिवनारायण यादव एवं रायपुर सह संभाग प्रभारी डॉ. राजीव सिंह वरिष्ठ भाजपा नेता रामलखन पैकरा ने कहा कि भाजपा का सांस्कृतिक राष्ट्रवाद न संकीर्ण है न विभाजक है। यह भारत की आत्मा का उत्सव है, जो हर भारतीय को उसकी साझा विरासत, पहचान और गौरव से जोड़ता है। संगठन विस्तार, डिजिटल संवाद, सोशल मीडिया की भूमिका, जनकल्याणकारी योजनाओं के प्रचार-प्रसार तथा कार्यकर्ता प्रशिक्षण की आवश्यकता पर अपने विचार रखे। विशेष रूप से यह बताया गया कि डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से शासन की उपलब्धियों को प्रभावी ढंग से जनता तक पहुंचाना समय की मांग है। बूथ स्तर पर डेटा प्रबंधन, मतदाता संपर्क और सोशल

विकास निगम के अध्यक्ष राम सेवक पैकरा छत्तीसगढ़ खाद्य आयोग के अध्यक्ष संदीप शर्मा, प्रदेश आई टी सेल संयोजक सुनील पिह्लई, जिला संगठन प्रभारी शिवनारायण यादव एवं रायपुर सह संभाग प्रभारी डॉ. राजीव सिंह वरिष्ठ भाजपा नेता रामलखन पैकरा ने कहा कि भाजपा का सांस्कृतिक राष्ट्रवाद न संकीर्ण है न विभाजक है। यह भारत की आत्मा का उत्सव है, जो हर भारतीय को उसकी साझा विरासत, पहचान और गौरव से जोड़ता है। संगठन विस्तार, डिजिटल संवाद, सोशल मीडिया की भूमिका, जनकल्याणकारी योजनाओं के प्रचार-प्रसार तथा कार्यकर्ता प्रशिक्षण की आवश्यकता पर अपने विचार रखे। विशेष रूप से यह बताया गया कि डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से शासन की उपलब्धियों को प्रभावी ढंग से जनता तक पहुंचाना समय की मांग है। बूथ स्तर पर डेटा प्रबंधन, मतदाता संपर्क और सोशल

विकास निगम के अध्यक्ष राम सेवक पैकरा छत्तीसगढ़ खाद्य आयोग के अध्यक्ष संदीप शर्मा, प्रदेश आई टी सेल संयोजक सुनील पिह्लई, जिला संगठन प्रभारी शिवनारायण यादव एवं रायपुर सह संभाग प्रभारी डॉ. राजीव सिंह वरिष्ठ भाजपा नेता रामलखन पैकरा ने कहा कि भाजपा का सांस्कृतिक राष्ट्रवाद न संकीर्ण है न विभाजक है। यह भारत की आत्मा का उत्सव है, जो हर भारतीय को उसकी साझा विरासत, पहचान और गौरव से जोड़ता है। संगठन विस्तार, डिजिटल संवाद, सोशल मीडिया की भूमिका, जनकल्याणकारी योजनाओं के प्रचार-प्रसार तथा कार्यकर्ता प्रशिक्षण की आवश्यकता पर अपने विचार रखे। विशेष रूप से यह बताया गया कि डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से शासन की उपलब्धियों को प्रभावी ढंग से जनता तक पहुंचाना समय की मांग है। बूथ स्तर पर डेटा प्रबंधन, मतदाता संपर्क और सोशल

विकास निगम के अध्यक्ष राम सेवक पैकरा छत्तीसगढ़ खाद्य आयोग के अध्यक्ष संदीप शर्मा, प्रदेश आई टी सेल संयोजक सुनील पिह्लई, जिला संगठन प्रभारी शिवनारायण यादव एवं रायपुर सह संभाग प्रभारी डॉ. राजीव सिंह वरिष्ठ भाजपा नेता रामलखन पैकरा ने कहा कि भाजपा का सांस्कृतिक राष्ट्रवाद न संकीर्ण है न विभाजक है। यह भारत की आत्मा का उत्सव है, जो हर भारतीय को उसकी साझा विरासत, पहचान और गौरव से जोड़ता है। संगठन विस्तार, डिजिटल संवाद, सोशल मीडिया की भूमिका, जनकल्याणकारी योजनाओं के प्रचार-प्रसार तथा कार्यकर्ता प्रशिक्षण की आवश्यकता पर अपने विचार रखे। विशेष रूप से यह बताया गया कि डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से शासन की उपलब्धियों को प्रभावी ढंग से जनता तक पहुंचाना समय की मांग है। बूथ स्तर पर डेटा प्रबंधन, मतदाता संपर्क और सोशल

दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे शुद्धिपत्र-4
ई-निविदा सूचना संख्या: 100-एच एम टी-परियोजना-निविदा-2026, दिनांक: 20.12.2025
शुद्धिपत्र-4: उपरोक्त निविदा संख्या में शुद्धि पत्र-4 दिनांक 27.02.2026 को जारी किया गया है। निविदा खतने के दिनांक में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है।
विस्तृत जानकारी/निविदा दस्तावेज का क्रिय, पात्रता का मापदंड तथा अन्य विस्तृत विवरण हेतु हमारी वेबसाइट <https://www.irps.gov.in> पर उपलब्ध है। उससे देख सकते हैं।
उप मध्य ति. ह्व दूर. ई.टी. (परियोजना-11)
सी.पी.आर./10/732 द.पु.मध्य रेलवे, बिलासपुर
South East Central Railway | @searail

पक्के घर की सौगात और बोनस दोहरी खुशियाँ लेकर आई झुन्ना के लिए

छत्तीसगढ़ फ्रंटलाइन

अम्बिकापुर। छत्तीसगढ़ सरकार की हितग्राही मूलक योजनाओं के सफल क्रियान्वयन से सरगुजा जिले के वनांचल क्षेत्रों में खुशहाली की नई बहार बह रही है। जिले के लखनपुर विकासखंड अंतर्गत ग्राम पंचायत केवरी के किसान झुन्ना सिंह के लिए इस बार की होली दोहरी खुशियाँ लेकर आई है। एक ओर जहाँ प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण से उनका पक्का घर बनकर तैयार है, वहीं दूसरी ओर मुख्यमंत्री विष्णु देव साय द्वारा अंतरित धान की बोनस राशि ने उनके त्रैहार के उत्पाद

को दोगुना कर दिया है। अपनी आपबीती साझा करते हुए झुन्ना सिंह बताते हैं कि पहले वे एक कच्चे और जर्जर मकान में रहने को मजबूर थे। उन्होंने कहा कि, बरसात के दिनों में घर की छत से पानी टपकता था, जिससे पूरे परिवार और बच्चों को बहुत परेशानी होती थी। उन्होंने बताया कि उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उनके जीवनकाल में उनका खुद का पक्का घर होगा। लेकिन प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण ने उनके इस असंभव सपने को हकीकत में बदल दिया है। शासन से मिली



में बदल दिया है। शासन से मिली

किस्तों की सहायता और जमा पूंजी निवेश कर से आज उनका मजबूत पक्का मकान बनकर खड़ा है। सिर्फ पक्का मकान ही नहीं, बल्कि मुख्यमंत्री विष्णु देव साय द्वारा होली से ठीक पहले किसानों के खाते में अंतरित की गई धान की अंतर राशि (बोनस) ने झुन्ना सिंह की आर्थिक चिंताओं को दूर कर दिया है। झुन्ना सिंह ने बताया, मैंने इस साल धान बेचा था और मुझे उम्मीद नहीं थी कि होली से पहले बोनस मिल जाएगा। अचानक खाते में 43 हजार रुपये आने का संदेश मिला तो मेरी खुशी का ठिकाना न रहा। विष्णु भैया ने त्रैहार से पहले यह पैसा भेजकर

हम जैसे गरीब किसानों की होली की खुशियाँ दोगुनी कर दी हैं। झुन्ना सिंह ने गर्व के साथ कहा कि वे अपने नए घर के सामने प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण अंकित करवाएंगे। उन्होंने प्रधानमंत्री एवं मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि शासन की योजनाओं से उन्हें सम्मानजनक एवं सुरक्षित जीवन मिला है। उन्होंने कहा कि शासन की संवेदनशील पहल से ग्रामीण किसानों को समय पर आर्थिक संबल मिल रहा है, जिससे वे न केवल अपने सपनों का घर बना पा रहे हैं, बल्कि त्रैहारों को भी हर्षोल्लास के साथ मना रहे हैं।

हाई कोर्ट ने पूर्व आईएस टुटेजा, कारोबारी डेबर को दी जमानत

छत्तीसगढ़ फ्रंटलाइन



बिलासपुर। हाई कोर्ट ने डीएमएफ घोटाले में सलिपता के आरोप में जेल में बंद पूर्व आईएस अनिल टुटेजा, आबकारी घोटाले में बंद कारोबारी अनवर डेबर व दो अन्य को जमानत दे दी है। कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। छत्तीसगढ़ आबकारी घोटाला में सलिपता के आरोप में तकरीबन 22 महीने से केंद्रीय जेल में निरुद्ध पूर्व आईएस अनिल टुटेजा और कारोबारी अनवर डेबर को हाई कोर्ट ने जमानत दे दी है। हाई कोर्ट ने जमानत याचिका को सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया

था। हाई कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए दोनों को जमानत दे दी है। जमानत याचिका की सुनवाई के बाद जस्टिस अरविंद वर्मा की कोर्ट ने अनिल टुटेजा, अनवर डेबर, नितेश पुरोहित और यश पुरोहित की जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया था। कोर्ट ने इन सभी को जमानत दे दी है। पूर्व आईएस अनिल टुटेजा और कारोबारी अनवर डेबर को ईओडब्ल्यू ने जेल में रहने के

दौरान पुनः गिरफ्तार किया था। ईओडब्ल्यू ने अनिल टुटेजा को डीएमएफ घोटाला में सलिपता के आरोप में और कारोबारी अनवर डेबर को आबकारी से ही जुड़े एक अन्य मामले में आरोपी बनाकर गिरफ्तार किया था। इन दोनों के ही अधिवक्ताओं ने ईओडब्ल्यू की इस कार्यवाही को विधि के द्वारा मिले अधिकारों का खुला दुरयोग और संविधान तथा कानून को संभूतता का मखौल उड़ाना निरूपित किया है।

फल प्रवर्धन एवं उत्पादन तकनीकी विषय पर एक दिवसीय कृषक प्रशिक्षण सह लीची पौध का वितरण

छत्तीसगढ़ फ्रंटलाइन

सूरजपुर। अखिल भारतीय समन्वित फल अनुसंधान परियोजना अंतर्गत फल प्रवर्धन एवं उत्पादन तकनीकी विषय पर एक दिवसीय कृषक प्रशिक्षण का सफल आयोजन किया गया। कार्यक्रम ग्राम सचपंच अर्जुन सिंह की उपस्थिति एवं सह-संचालक अनुसंधान, परिक्षेत्रीय कृषि अनुसंधान केन्द्र अम्बिकापुर के नेतृत्व में सम्पन्न हुआ। सह-संचालक अनुसंधान ने अपने उद्बोधन में कृषकों को परंपरागत फसलों के साथ फल एवं सब्जियों की वैज्ञानिक खेती अपनाने हेतु प्रेरित किया तथा वास्तविक प्रवर्धन की उन्नत तकनीकों से आय वृद्धि पर बल दिया। प्रशिक्षण



के दौरान डॉ. योगेन्द्र द्वारा आम में ग्राफ्टिंग पद्धति का प्रदर्शन एवं लीची में गूटी तकनीक का प्रदर्शन डॉ. शशि किरण मिश्र द्वारा किया गया। श्रीमती अरुणिमा त्रिपाठी ने आधुनिक फल उत्पादन तकनीकों की जानकारी दी। इसी क्रम में डॉ. पी. के. भगत ने फलदार वृक्षों में कीट प्रबंधन पर मार्गदर्शन दिया जबकि डॉ. रंजीत कुमार ने पौधों की सुरक्षित पैकेजिंग एवं रोपण उपरांत देखभाल के विषय में

बताया। डॉ. दुर्गेश्वरी ने पोषक तत्व प्रबंधन पर जानकारी दी। डॉ. अखिलेश लकड़ा एवं कु. शिवानी मिश्रा ने डॉ. एस. आर. दुबोलिया के मार्गदर्शन में प्रशिक्षण पूर्व एवं पश्चात प्रश्नावली के माध्यम से कृषकों के ज्ञान स्तर का मूल्यांकन किया। प्रशिक्षण में उपस्थित सभी कृषकों को लीची पौध का वितरण किया गया एवं कार्यक्रम का समापन खुली परिचर्चा के साथ सम्पन्न हुआ।

राज्यसभा दावेदार लक्ष्मी वर्मा का पार्षद से संसद तक का सफर

छत्तीसगढ़ फ्रंटलाइन

रायपुर। राज्य बनने से पहले वर्ष 1994 में रायपुर नगर निगम के वार्ड नंबर सात से पार्षद चुनी गईं लक्ष्मी वर्मा को वर्ष 2010 में रायपुर जिला पंचायत का अध्यक्ष बनाया गया था। यह कार्यकाल समाप्त होने के बाद वे एफएएसएलएल स्टील मिनिस्ट्री गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में स्वतंत्र निदेशक के पद पर काम करती रहीं। फिर सात अक्टूबर 2024 को उन्हें छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग के सदस्य का दायित्व सौंपा गया। लक्ष्मी बलौदाबाजार जिले की मूल निवासी हैं। वे सिमगा ब्लॉक के ग्राम मुडपार की रहने

वाली हैं। वर्ष 1990 में उन्होंने भाजपा की प्राथमिक सदस्यता ली थी। वर्ष 2000 में उन्हें रायपुर लोकसभा सदस्य रमेश बैस का प्रतिनिधि भी नियुक्त किया गया था। राजनीतिक सफर के रूप में उन्होंने भाजपा महिला मोर्चा कार्यसमिति के सदस्य के रूप में काम किया। इतना ही नहीं, वर्ष 2010 में उन्हें भाजपा के पंचायत राज प्रकोष्ठ की राष्ट्रीय कार्यसमिति में वर्ष 2014 तक रखा गया था। जबकि प्रदेश भाजपा में उन्हें 2021 में प्रदेश



उपाध्यक्ष का दायित्व दिया गया। उनकी वाकपटुता को देखते हुए उन्हें गरियाबंद संगठन प्रभारी के साथ पार्टी प्रवक्ता की जिम्मेदारी दी जा चुकी है। इस तरह देखा जाए

तो लक्ष्मी की जमीनी पकड़ के अलावा संगठन में भी मजबूत पैठ रही है। यही कारण है कि संभावित सभा नामों को पीछे छोड़ते हुए लक्ष्मी को संसद जाने का मौका मिल गया है। जबकि रिस में पूर्व नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल, पूर्व मंत्री प्रेमप्रकाश पांडेय, पूर्व मंत्री कृष्णमूर्ति बांधी का भी नाम चर्चा में था। बताते हैं कि अंतिम तीन नाम में लक्ष्मी वर्मा के साथ नारायण चंदेल और प्रेमप्रकाश पांडेय का नाम था।

मनवा कुर्मी समाज से गहरा नाता भाजपा ने ओबीसी कार्ड के साथ मनवा कुर्मी समाज को भी साध लिया है। लक्ष्मी का सामाजिक ताना-बाना बहुत गहरा है। वे वर्ष 2000 से 2006 तक मनवा कुर्मी क्षत्रित समाज में प्रदेश महिला महामंत्री रही हैं। जबकि 2006 से 2008 तक समाज की ही प्रदेश संगठन मंत्री और 2008 से 2010 तक प्रदेश महिला अध्यक्ष रह चुकी हैं। अभी लक्ष्मी के पास अखिल भारतीय कुर्मी क्षत्रिय महासभा की महिला राष्ट्रीय महासचिव की भी जिम्मेदारी है। ऐसे में देखा जाए तो भाजपा ने सामाजिक परिदृश्य को भी ध्यान में रख कर प्रत्याशी का चयन किया है।

पुलिस की कार्रवाई में 130 नशेड़ी वाहन चालक पकड़े गए

छत्तीसगढ़ फ्रंटलाइन

रायपुर। होली पर्व को देखते हुए नशे में वाहन चलाने वालों के खिलाफ रायपुर पुलिस ने विशेष अभियान चलाया। शाम से देर रात तक चले इस सघन अभियान में 130 वाहन चालकों पर कार्रवाई की गई। सभी के खिलाफ मोटरवाहन अधिनियम की धारा 185 के तहत प्रकरण दर्ज कर वाहन जब्त किए गए हैं।



क्षेत्रों में 42 चेकिंग प्वाइंट बनाए गए। अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त

विवेक शुक्ला और दौलत राम पोते के मार्गदर्शन में टीमों ने ब्रीथ एनालाइजर मशीन से जांच की। जांच में 39 कार, 73 मोटरसाइकिल, 3 ट्रक और 15 टाटा एस पिकअप व ई-रिक्शा चालक शराब के नशे में वाहन चलाते पाए गए। सभी वाहनों को जब्त कर यातायात मुख्यालय और संबंधित थानों में खड़ा कराया गया है।

न्यायालय में पेश किया जाएगा, जहाँ प्रत्येक मामले में 10,000 से 15,000 रुपये तक जुर्माने का प्रावधान है।

24 किलो गांजा के साथ दो आरक्षक समेत चार गिरफ्तार

छत्तीसगढ़ फ्रंटलाइन

जशपुर। विवेकानंद कॉलोनी स्थित एक किराये के मकान से पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 24 किलो गांजा बरामद किया है। इस मामले में दो युवकों की गिरफ्तारी के बाद चौकाने वाला खुलासा हुआ, जिसमें पुलिस विभाग के दो आरक्षकों की सलिपता सामने आई है। सभी चार आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। जशपुर कोतवाली थाना पुलिस को सूचना मिली थी कि विवेकानंद कॉलोनी के एक घर में गांजा डैप कर रखा



गया है। सूचना पर पुलिस टीम ने दक्षिण देकर मौके से 24 किलो गांजा जब्त किया और दो आरोपी सुनील भगत और रवि विश्वकर्मा को गिरफ्तार किया। पूछताछ के दौरान आरोपी सुनील भगत ने खुलासा किया कि गांजा तस्करी के नेटवर्क में पुलिस विभाग के दो आरक्षक भी शामिल हैं। जांच

में तपकरा थाने में पदस्थ आरक्षक धीरेन्द्र मधुकर और अमित त्रिपाठी के नाम सामने आए। पुष्पा सबूत मिलने के बाद पुलिस ने दोनों आरक्षकों को भी गिरफ्तार कर लिया। चारों आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट की धारा 20बी के तहत मामला दर्ज किया गया है।

जमीन पर कब्जा को लेकर हुई मारपीट

संवाददाता

उन्नाव। सदर कोतवाली क्षेत्र की ईदगाह कॉलोनी में सोमवार को जमीन कब्जे को लेकर विवाद हिंसक हो गया। आरोप है कि भू-माफियाओं ने छुट्टी का फायदा उठाकर एक प्लॉट पर कब्जा करने का प्रयास किया। विरोध करने पहुंचे प्लॉट मालिकों और उनके परिजनों पर हमला कर दिया गया, जिसमें कई लोग घायल हो गए। घायलों को उपचार के लिए भेजा गया और बाद में वे न्याय की मांग को लेकर सदर कोतवाली पहुंचे। पीड़ित प्लॉट मालिकों विमला, कंचन देवी, कामिनी, गौरव कश्यप और धर्मेश ने बताया कि ईदगाह कॉलोनी में स्थित उनकी जमीन पर लंबे समय से कुछ लोगों की नजर थी। सोमवार को सरकारी कार्यालयों में अवकाश का लाभ उठाकर कथित भू-माफिया अपने साथियों के साथ मौके पर पहुंचे। उन्होंने प्लॉट पर जबरन कब्जा करने का प्रयास किया, जिसकी जानकारी मिलते ही प्लॉट मालिक और उनके परिजन विरोध करने पहुंच गए। विरोध के दौरान



दोनों पक्षों में कहासुनी शुरू हो गई, जो जल्द ही मारपीट में बदल गई। आरोप है कि कब्जा करने आए लोगों ने लाठी-डंडों से हमला किया, जिससे कई लोग घायल हो गए। इस घटना से इलाके में अफरा-तफरी भय और मौके पर भीड़ जमा हो गई। पीड़ितों के अनुसार, उन्होंने इस मामले को लेकर पहले भी प्रशासन से शिकायत की थी। प्लॉट मालिकों ने जिलाधिकारी कार्यालय में एडीएम, एसडीएम सदर और सदर विधायक पंकज गुप्ता से मिलकर न्याय की गुहार लगाई थी। हालांकि, कोई कार्रवाई न होने के कारण आरोपियों के

हौसले बढ़ गए थे। घटना की जानकारी मिलने पर घायल प्लॉट मालिक और उनके परिजन सदर कोतवाली पहुंचे। उन्होंने पुलिस को तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की। पुलिस ने घायलों का मेडिकल परीक्षण कराने की प्रक्रिया शुरू कर दी है और मामले की जांच का आश्वासन दिया है। इस संबंध में पुलिस अधीक्षक जयप्रकाश ने बताया कि यह मामला अभी उनके संज्ञान में नहीं था। हालांकि, जानकारी मिलने के बाद इसकी जांच कराई जाएगी और जांच के आधार पर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।

इलाज के दौरान एक निजी अस्पताल में बच्ची की मौत परिजनों ने काटा हंगामा

संवाददाता

उन्नाव। चार वर्षीय बच्ची की इलाज के दौरान मौत के बाद परिजनों ने अस्पताल पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए जमकर हंगामा किया। मामला मेडिसिटी हॉस्पिटल से जुड़ा है, जहां बच्ची का प्रारंभिक उपचार चल रहा था। मानपुर सिक्ंदरपुर कर्ण निवासी नरज विश्वकर्मा की चार वर्षीय बेटी आराध्य विश्वकर्मा को मेडिसिटी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था। परिजनों का कहना है कि उपचार के दौरान अचानक बच्ची की तबीयत बिगड़ गई। हालत गंभीर होने पर अस्पताल प्रबंधन ने उसे कानपुर के एक निजी अस्पताल में रेफर कर दिया। कानपुर में उपचार के दौरान बच्ची की मौत हो गई। बेटी के निधन की खबर मिलते ही परिजन आक्रोशित हो उठे और वापस उन्नाव आकर मेडिसिटी हॉस्पिटल के बाहर विरोध प्रदर्शन करने लगे। परिजनों ने आरोप लगाया कि अस्पताल के डॉक्टर ने गलत इंजेक्शन लगाया, जिससे बच्ची की हालत बिगड़ गई और उसकी जान चली गई। उनका कहना है कि समय पर सही इलाज मिलता तो बच्ची को बचाया जा सकता था। हंगामे की सूचना मिलते ही कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित किया। पुलिस ने परिजनों को शांत कर उनकी शिकायत सुनी। अधिकारियों ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है। लिखित शिकायत मिलने पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। पुलिस ने अस्पताल प्रबंधन से घटना की जानकारी ली है और उपचार से जुड़े दस्तावेजों की जांच की बात कही है। कोतवाली प्रभारी सीके मिश्र के अनुसार, प्रथम दृष्टया मामला इलाज के दौरान तबीयत बिगड़ने का प्रतीत होता है, लेकिन परिजनों के आरोपों को गंभीरता से लिया जा रहा है।

दोस्त को गोली मारने वाला नाबालिग गिरफ्तार रील बनाने के विवाद में हुई थी घटना, आरोपी बोला- वो पिस्टल मांग रहा था

संवाददाता

शाहजहापुर, रील बनाने को लेकर हुए विवाद में एक नाबालिग ने अपने दोस्त को पिता की लाइसेंस पिस्टल से गोली मार दी। घटना 28 फरवरी को हुई थी, जिसमें 17 वर्षीय नैतिक गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे बरेली के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने आरोपी नाबालिग को गिरफ्तार कर लिया है। कटरा थाना क्षेत्र के अरहान मोहल्ले का रहने वाला 17 वर्षीय नैतिक अपने नाबालिग दोस्त के साथ गहरी दोस्ती रखता था। 28 फरवरी को काकोरी इंटर कॉलेज के पास उसके दोस्त ने उसे गोली मार दी, जो नैतिक की छाती में लगी। गंभीर हालत में उसे बरेली के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। नैतिक की मां राधा जायसवाल ने चार आरोपियों के खिलाफ नामजद एफआईआर दर्ज कराई थी। पुलिस पूछताछ में आरोपी नाबालिग ने बताया कि उसके दोस्त ने रील बनाने के लिए उसके पिस्टल मांगी थी। जब उसने पिस्टल देने से मना किया, तो दोनों के बीच गाली-गलौज शुरू हो गई। घटना के बाद पुलिस ने आरोपी की तलाश शुरू की। मुखबिर की सूचना पर उसे फौजपुर रोड के पास से गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने उसके पास से एक पिस्टल और चार कारतूस बरामद किए हैं। आरोपी ने यह भी बताया कि उसके पिता की लाइसेंस पिस्टल अलमारी में ताला लगाकर रखी रहती थी। घटना वाले दिन जब उसके पिता घर से बाहर गए थे, तो उसने



मौका पाकर अलमारी का ताला खोलकर पिस्टल निकाल ली थी। उसका दोस्त मोबाइल पर मैसेज करके रील बनाने के लिए पिस्टल मांग रहा था। मौका पाकर पिस्टल को साथ लेकर काकोरी स्कूल वाली गली में दोस्त से मिलने गया था। मैंने पिस्टल को दोस्त को दिखाया तो उसने मुझे पिस्टल मांगा तो मैंने देने से मना कर दिया। इस बात को लेकर हम दोनों में विवाद हो गया। तब मैंने दोस्त को पिस्टल से गोली मार दी। गोली उसकी बायीं ओर छाती पर लगी। जिससे उसकी छाती पर खून दिख रहा था तब मैंने पिस्टल लेकर मौके से भाग गया और पीकी मन्दिर के पास रेलवे लाइन पार करके खण्डर में मैंने पिस्टल को छुपा दिया था।

सम्पादकीय

बम से नहीं, वार्ता से सुलाझाएं विवाद

संयुक्त राज्य अमेरिका और इजराइल द्वारा ईरान पर किए गए व्यापक सैन्य हमलों ने क्षेत्रीय तनाव को चरम पर पहुंचा दिया है। विभिन्न शहरों में सैन्य ठिकानों के साथ-साथ नागरिक ढांचे को भी नुकसान पहुंचने की खबरें हैं। बड़ी संख्या में लोगों की मृत्यु एवं घायल होने की सूचना ने मानवीय संकट को और गहरा कर दिया है। जवाबी कार्रवाई में ईरान द्वारा भी हमले किए जाने से स्थिति और विस्फोटक हो गई है। यह संघर्ष यदि इसी दिशा में आगे बढ़ता रहा, तो इसका प्रभाव केवल मध्य पूर्व तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पूरी दुनिया इसकी चपेट में आ सकती है। सैंकड़ों निर्दोष लोग मारे जाएंगे, आर्थिक संकट भी बढ़ेगा। इतिहास इस बात का साक्ष्य है कि बम और मिसाइलें क्षणिक बढ़त तो दिला सकती हैं, लेकिन वे स्थायी शांति की नींव नहीं रख सकतीं। इस संघर्ष में न केवल हजारों परिवारों को शोक में डुबोया है, बल्कि क्षेत्रीय अस्थिरता को भी बढ़ाया है। स्कूलों, रिहायशी इलाकों और नागरिक प्रतिष्ठानों को हुए नुकसान ने यह स्पष्ट कर दिया है कि आधुनिक युद्धों में सबसे बड़ी कीमत आम नागरिक ही चुकाते हैं। ऐसे समय में वार्ता, संयम, संवाद और कूटनीति ही एकमात्र रास्ता है जो व्यापक विनाश को रोक सकते हैं। मध्य पूर्व का भू-राजनीतिक महत्व पूरी दुनिया जानती है। ऊर्जा आपूर्ति का बड़ा हिस्सा इसी क्षेत्र से होकर गुजरता है। यदि तनाव और बढ़ता है और होर्मुज जलडमरूमध्य जैसे महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग बाधित होते हैं, तो वैश्विक तेल आपूर्ति पर गहरा असर पड़ेगा। तेल की कीमतों में उछाल से विश्व अर्थव्यवस्था पर दबाव बढ़ेगा, महंगाई बढ़ेगी और विकासशील देशों को आर्थिक स्थिति और कठिन हो जाएगी। स्पष्ट है कि यह केवल दो या तीन देशों का मामला नहीं है, बल्कि पूरी वैश्विक व्यवस्था की स्थिरता का प्रश्न है। भारत ने ईरान और खाड़ी क्षेत्र की स्थिति पर चिंता व्यक्त करते हुए सभी पक्षों से तनाव कम करने और नागरिकों की सुरक्षा को प्राथमिकता देने का आग्रह किया है। भारत का यह रुख संतुलित और जिम्मेदार कूटनीति का परिचायक है। इसी प्रकार चीन और रूस ने भी सैन्य कार्रवाई को निंद करते हुए संवाद और शांतिपूर्ण समाधान पर जोर दिया है। यह सकात्मक संकेत है कि वैश्विक शक्तियां कम से कम औपचारिक रूप से ही सही, शांति की वकालत कर रही हैं। वास्तव में, यह समय आरोप-प्रत्यारोप का नहीं, बल्कि आत्ममंथन का है। क्या सैन्य हमले किसी परमाणु या सुरक्षा विवाद का स्थायी हल दे सकते हैं? क्या क्षेत्रीय प्रभुत्व की राजनीति निर्दोष नागरिकों के जीवन से अधिक मूल्यवान है? इन प्रश्नों का उत्तर स्पष्ट है। विश्व व्यवस्था नियम-आधारित होनी चाहिए, जहां सभी देशों की समृद्धता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान हो। यदि कूटनीतिक प्रयासों को मजबूत किया जाए, तो विवादों का समाधान संभव है। अतः मैं भी कई जटिल अंतरराष्ट्रीय विवाद वार्ता की मेज पर सलज्जे हैं। संयुक्त राष्ट्र और अन्य बहुपक्षीय मंचों की भूमिका भी इस समय अत्यंत महत्वपूर्ण है। परमाणु कार्यक्रम, सुरक्षा और प्रतिबंधों जैसे मुद्दों पर व्यापक और पारदर्शी वार्ता हो आगे का रास्ता दिखा सकती है। सैन्य उत्क्रांश से केवल अविश्वास बढ़ता है, जबकि संवाद से पुनर्बल है। विश्व समुदाय को स्पष्ट संदेश देना होगा कि 21वीं सदी में संघर्षों का समाधान युद्ध नहीं, बल्कि वार्ता है। इसलिए यही उचित होगा कि सभी पक्ष तुरंत सैन्य कार्रवाइयों पर विराम लगाएं, वार्ता कम करें और बातचीत की प्रक्रिया को पुनः आरंभ करें। बम से नहीं, बल्कि वार्ता से ही स्थायी शांति का मार्ग प्रशस्त हो सकता है।



तनाव डॉ. ज्योतीलाल भट्टारी

ईरानी और इजराइल-अमेरिका युद्ध लंबा खिंचने की आशंका से भारत की भी कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों, शेयर बाजार में गिरावट, माल दुलाई की लागत बढ़ने, खाद्य वस्तुओं की महंगाई, भारत से बासमती चावल, चाय, मशीनरी, इस्पात तथा फुटवियर जैसे क्षेत्रों में निर्यात, निर्यात के लिए बीमा लागत में वृद्धि, पश्चिम एशिया में रहने वाले भारतीयों की सुरक्षा की चिंता तथा इजराइल और ईरान के सहित पश्चिम एशिया के अन्य देशों के साथ द्विपक्षीय व्यापार में कमी जैसी चिंताएं बढ़ सकती हैं। लेकिन ईरान और इजराइल-अमेरिका युद्ध के बीच भारत के कई ऐसे मजबूत आर्थिक पक्ष हैं, जिनसे भारत के आम आदमी और भारतीय अर्थव्यवस्था को अधिक नुकसान नहीं होगा।

ईरान युद्ध से बड़ी आर्थिक चिंताएं

इजराइल-अमेरिका द्वारा 28 फरवरी को ईरान पर हमले और उसके बाद ईरान के द्वारा इजरायल व अमेरिका के सैन्य ठिकानों पर हमलों से निर्मित युद्ध ने दुनिया की चिंताएं बढ़ा दी हैं। खास तौर से इस युद्ध में ईरान के सुप्रिाम लीडर अयातुल्लाह अली खामेनेई के मारे जाने के बाद जहां ईरानी सेना ने इजराइल-अमेरिका से इसका पूरा बदला लेने और इजराइल-अमेरिका के द्वारा ईरान को पूरी तरह से कमजोर किए जाने के वक्तव्यों से इस युद्ध के लंबा खिंचने की आशंका बढ़ गई है। ऐसे भारत की भी चिंताएं बढ़ सकती हैं। ये चिंताएं कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों, शेयर बाजार में गिरावट, माल दुलाई की लागत बढ़ने, खाद्य वस्तुओं की महंगाई, भारत से बासमती चावल, चाय, मशीनरी, इस्पात तथा फुटवियर जैसे क्षेत्रों में निर्यात, निर्यात के लिए बीमा लागत में वृद्धि, पश्चिम एशिया में रहने वाले भारतीयों की सुरक्षा की चिंता तथा इजराइल और ईरान के सहित पश्चिम एशिया के अन्य देशों के साथ द्विपक्षीय व्यापार में कमी की आशंकाओं से संबंधित हैं। उल्लेखनीय है कि ईरान और इजरायल-अमेरिका के बीच युद्ध का असर वैश्विक शिपिंग रूट्स पर भी पड़ सकता है, खासकर होर्मुज जलडमरूमध्य पर। ईरान ने 33 किलोमीटर चौड़ा यह जल मार्ग रोक दिया है। यह वैश्विक यातायात का एक अत्यंत महत्वपूर्ण मार्ग है। दुनिया को मिलने वाला करीब एक तिहाई तेल और खाद्य व कृषि उत्पादों का अधिकांश यातायात इसी मार्ग से होता है। ऐसे में इस क्षेत्र में शिपिंग बाधित होने से कच्चे तेल की ग्लोबल सप्लाई चैन प्रभावित हो सकती है। साथ ही इससे खाद्य पदार्थों, जैसे कि गेहूं, चीनी और अन्य कृषि उत्पादों की कीमतें बढ़ने लगेंगी। चूंकि भौगोलिक रूप से ईरान भारत का पड़ोसी क्षेत्र है और कच्चे तेल के लिहाज से भारत का करीब आधा कच्चा तेल इसी रास्ते से होकर आता है, ऐसे में यह युद्ध भारत के लिए कच्चे तेल संबंधी चिंता निर्मित करते हुए दिखाई दे रहा है। वजह यह है कि भारत अपनी कच्चे तेल की जरूरतों के करीब 85 फीसदी तक आयात पर निर्भर है, अतएव कच्चे तेल के दाम में बढ़ोतरी भारत के आयात बिलों की चिंता बढ़ सकती है। स्थिति यह है कि युद्ध के तनाव के बीच 28 फरवरी को कच्चे तेल की कीमत 73 डॉलर प्रति बैरल के मूल्य स्तर पर पहुंच गई, जो सात माह का रिकॉर्ड मूल्य स्तर है। युद्ध के लंबा खिंचने पर कच्चे तेल की कीमत 100 डॉलर प्रति बैरल के पाए जा सकती है। ईरान दुनिया के सबसे बड़े कच्चा तेल उत्पादकों में से एक है और यह देश युद्धप्रस्त है। ऐसे में ईरान के तेल बाजार में अस्थिरता से कच्चे तेल

की कीमतें तेजी से बढ़ने पर पेट्रोल, डीजल और अन्य पेट्रोलियम उत्पाद महंगे होने लगेंगे। इसका असर भारत पर भी हो सकता है। इस युद्ध से वैश्विक शेयर बाजार के साथ-साथ भारत के शेयर बाजार पर भी बड़ा असर पड़ने की आशंका है। इस युद्ध से भारत के शेयर बाजार में बड़ी संख्या में विदेशी निवेशकों के द्वारा जोखिम वाली संपत्तियां बेचने और बड़ी संख्या में निवेश निकालने की स्थिति दिखाई दे सकती है। संसेन्स और निफ्टी के लिए मार्च 2026 बड़ी गिरावट का शकित होगा। इस युद्ध के कारण निवेशक तेजी से सुरक्षित निवेश के तौर पर सोने की खरीदी का भी

इस समय लगभग 182 लाख टन गेहूं उपलब्ध होने का अनुमान है। इसी तरह इस वित्त वर्ष 2025-26 के लिए निजी कंपनियों और व्यापारियों के पास लगभग 75 लाख टन गेहूं का स्टॉक मौजूद है। यह पिछले साल की इसी अवधि की तुलना में करीब 32 लाख टन ज्यादा है। यह भी महत्वपूर्ण है कि रबी सीजन 2026 में गेहूं की वृद्धि का रकबा बढ़कर 334.17 लाख हेक्टेयर हो गया है, जो पिछले साल 328.04 लाख हेक्टेयर था। एक खास बात यह है कि भारत में महंगाई नियंत्रित है भारतीय अर्थव्यवस्था मजबूत बनी हुई है। महंगाई दर 4 प्रतिशत के लक्ष्य से नीचे है। थोक मूल्य सूचकांक आधारित महंगाई दर जनवरी 2026 में 1.81 प्रतिशत पर रही है। इसी तरह उपभोक्ता महंगाई दर 2.75 प्रतिशत रही है। भारत में महंगाई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के निर्धारित लक्ष्य से भी कम है। निश्चित रूप से भारतीय अर्थव्यवस्था मजबूत बनी हुई है। यदि युद्ध से जरूरी दवाइयों की आपूर्ति में कोई कमी आती है, तो सरकार पीएलआई योजना के तहत दवाइयों उद्योग में काम आने वाले 35 प्रमुख कच्चे माल (एपीआई) का उत्पादन देश में ही तेजी से बढ़ाते हुए दिखाई दे सकता है। इससे दवाइयों के दामों पर नियंत्रण रखा जा सकता है। इस युद्ध के चलते वैश्विक तेल की कीमतों में आए उछाल पर भारत कच्चे तेल के किसी भी संकट से निपटने में सक्षम होगा। इस समय भारत के पास 74 दिनों की रणनीतिक



कच्चा तेल भंडार उपलब्ध है। पहले भारत 27 देशों से कच्चा तेल खरीदता था, अब इन देशों की संख्या बढ़कर 39 हो गई है। इससे कुछ ही देशों से तेल खरीदने संबंधी जोखिम कम हो गया है। यह बात भी महत्वपूर्ण है कि आगामी वित्त वर्ष 2026-27 के बजट के तहत शीघ्र खराब होने वाले सामान की बाजार में समुचित आपूर्ति सुनिश्चित करने, महंगाई नियंत्रण व जरूरी दवाइयों की किफायती दाम पर आपूर्ति के लिए जो प्रभावी व्यवस्थाएं सुनिश्चित की गई हैं, वे युद्ध की चुनौती के बीच भारत के आम आदमी को राहत देते हुए दिखाई दे सकेंगी। हम उम्मीद करते कि सरकार ईरान और इजराइल-अमेरिका के युद्ध के दुर्भाग्यपूर्ण रूप से विकारित होने पर युद्ध से निर्मित आर्थिक चुनौतियों की आशंका के मद्देनजर ऐसी बहुआयामी रणनीति के साथ आगे बढ़ेगी, जिससे देश के आमजन व देश की अर्थव्यवस्था को ईरान और इजराइल-अमेरिका युद्ध के दुष्प्रभावों से बचाया जा सकेगा।

(लेखक पश्चिम अर्थशास्त्री हैं, वे उनके अज्ञेय विचार हैं।)

कूटनीति

महेंद्र तिवारी



खामेनेई के बाद ईरान की

रणनीति व भारत पर असर

आतंरिक अती खामेनेई की मृत्यु और उसके बाद मोजतबा खामेनेई का सत्ता के केंद्र में आने ईरान के इतिहास का वह मोड़ है, जहां से वापसी का रास्ता केवल संघर्ष और रणनीतिक आक्रामकता से होकर गुजरता है। ईरान की आगामी रणनीति अब केवल अस्तित्व बचाव की नहीं, बल्कि अपने खोये हुए गौरव और नेतृत्व के अपमान का बदला लेने की है। अहमद वाहिदी जैसे कट्टरपंथी सैन्य रणनीतिकार के हाथों में इस्लामिक रिवालयुशरी गार्ड कार्पस की कमान होने का सीधा अर्थ है कि ईरान अब 'रणनीतिक धैर्य' की नीति को त्यागकर 'प्रत्यक्ष प्रतिशोध' के युग में प्रवेश कर चुका है। मोजतबा खामेनेई के लिए चुनौती दोहरी है: उन्हें न केवल अपने पिता की विरासत को सुरक्षित रखना है, बल्कि देश के भीतर पनप रहे असंतोष और बाहर से हो रहे सैन्य प्रहारों के बीच संतुलन बनाना है। ईरान की अगली चालों में सबसे महत्वपूर्ण उसका परमाणु कार्यक्रम होगा। अंतरराष्ट्रीय दबाव व हमलों के बावजूद, ईरान अब परमाणु हथियार की क्षमता को 'अंतिम सुरक्षा कवच' के रूप में देख रहा है। 2025-26 के इस कालखंड में ईरान का 90% तक युरेनियम संवर्धन करना केवल तकनीकी उपलब्धि नहीं, बल्कि एक भू-राजनीतिक ब्लेकमेलिंग का हथियार है, जो पश्चिम को सीधे उत्क्रांश से रोकने के लिए इस्तेमाल होगा। क्षेत्रीय स्तर पर, ईरान अपने 'एक्सिस ऑफ रिसिस्टेंस' यानी हिजाबुल्लाह, हूती व हमस को बड़े ऊर्जा और आधुनिक हथियारों से लैस करेगा ताकि इजरायल-अमेरिकी ठिकानों पर दबाव बना रहे। होर्मुज जलडमरूमध्य की घेराबंदी ईरान का वह ब्रह्मास्त्र है, जिसे वह वैश्विक अर्थव्यवस्था को घुटनों पर लाने में इस्तेमाल कर सकता है। इस भीषण उथल-पुथल के बीच भारत की स्थिति अत्यंत नाजुक और चुनौतीपूर्ण हो गई है। भारत के लिए ईरान केवल एक भौगोलिक इकाई नहीं, बल्कि पश्चिम और मध्य एशिया तक पहुंचने का प्रवेश द्वार है। ईरान में इस तरह का नेतृत्व परिवर्तन और युद्ध की स्थिति भारत की 'स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी' यानी रणनीतिक स्वायत्तता की कड़ी परीक्षा है। भारत ने हमेशा से एक संतुलनकारी शक्ति की भूमिका निभाई है, जहां उसने एक तरफ इजरायल के साथ रहने तथा संबंध बना रखे हैं, वहीं दूसरी तरफ ईरान के साथ चाबूतल पोर्ट जैसे रणनीतिक निवेशों के जरिए अपनी कनेक्टिविटी को सुरक्षित किया है। खामेनेई के बाद यदि ईरान पूरी तरह से चीन और रूस के पाले में चला जाता है, जैसा कि वर्तमान संकेतों से लग रहा है, तो भारत के लिए अपनी स्वायत्तता बनाए रखना कठिन होगा। अमेरिका और इजरायल के साथ भारत की बढ़ती निकटता के बीच ईरान का नया कट्टरपंथी नेतृत्व नई दिल्ली को संदेह की दृष्टि से देख सकता है। यदि ईरान पर और कड़े प्रतिबंध लगते हैं या वह पूर्ण युद्ध में उलझता है, तो चाबूतल बंदरगाह और 'इंटरनेशनल नॉर्थ-साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर' जैसे प्रोजेक्ट ठंडे बस्ते में जा संकेत है, जो भारत के लिए मध्य एशिया और यूरोप तक पहुंचने का सबसे छोट और सरस्ता रास्ता है। भारत की विदेश नीति के लिए यह वह समय है जब उसे 'गुटनिर्पेक्षता 2.0' के सिद्धांतों पर चलते हुए यह सुनिश्चित करना होगा कि वह किसी एक पक्ष का मोहवा न बने।

सामाजिक और सुरक्षा के दृष्टिकोण से देखें तो ईरान और पश्चिम के बीच बढ़ता तनाव भारत के भीतर के जनसांख्यिकीय संतुलन और प्रवासी सुरक्षा को भी प्रभावित करता है। पश्चिम एशिया में लाखों भारतीय काम करते हैं, जिनकी सुरक्षा और वहां से आने वाला प्रेषण भारत की अर्थव्यवस्था को रोह है। यदि युद्ध फैला, तो उनकी सुरक्षित वापसी बड़ी लॉजिस्टिक चुनौती होगी। अंततः, खामेनेई के बाद का ईरान एक ऐसा ज्वालामुखी है जिसके फटने का असर वाशिंगटन से लेकर नई दिल्ली तक महसूस किया जाएगा। मोजतबा खामेनेई और अहमद वाहिदी की जोड़ी ईरान को एक सैन्योक्त धार्मिक शासन की ओर ले जा रही है, जो कूटनीति से अधिक शक्ति प्रदर्शन में विश्वास रखता है। भारत को ऐसे समय में अपनी 'रणनीतिक स्वायत्तता' को ढाल बना अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा करनी होगी, भले ही इसके लिए उसे कठिन कूटनीतिक फैसले लेने पड़ें। उसे चाहिए कि वह ईरान के नए नेतृत्व के साथ अनौपचारिक माध्यमों से संवाद बनाए रखे और साथ ही अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार को और मजबूत करे। ईरान का यह संकट वैश्विक व्यवस्था के पुनर्निर्धारण का संकेत है, और भारत को इस बदलती व्यवस्था में एक दर्शक के बजाय निर्णायक भूमिका निभानी होगी, ताकि उसकी ऊर्जा सुरक्षा और समृद्धता पर आंच न आए। ईरान की अगली चालें केवल उसके भविष्य को ही नहीं, बल्कि भारत की रणनीतिक महत्वाकांक्षाओं को भी नई दिशा देगी।

(लेखक पश्चिम अर्थशास्त्री हैं, वे उनके अज्ञेय विचार हैं।)

कुंभकर्ण एवं रावण के पिछले जन्म का रहस्य

सनक, सनंदन, सनातन तथा सनतकुमार भगवान विष्णु से मिलने वैकुंठ लोक गए। वहां उनके द्वारा जय-विजय ने उन्हें अंदर जाने से रोक दिया और उनका अपमान किया। इससे क्रुद्ध होकर चारों मुनि कुमारों ने जय-विजय को पृथ्वी लोक पर असुर के रूप में जन्म लेने का शाप दे दिया। ऋषि कुमारों द्वारा शाप मिलने पर दोनों दारपालों को अपनी गलती का



संकलित दर्शन

अहसास हुआ। वे दोनों उनके चरणों पर गिरकर पश्चाताप करने लगे और अपने अपराध के लिए क्षमा मांगने लगे। उसी समय वहां देवी लक्ष्मी सहित विष्णु पधारें। चारों मुनि कुमारों ने उन्हें प्रणाम किया। जय-विजय ने भगवान विष्णु को सास वृत्तों सुनाया और प्रार्थना करते हुए कहा, 'प्रभु हम पर दया करें। हमें शाप मुक्त करें।' भगवान विष्णु ने कहा, 'यह मेरे वश में नहीं है, ये चारों मुनि कुमार ही तुम्हें इस शाप से मुक्त कर सकते हैं।' मुनि कुमारों को दोनों द्वारा पालों पर दया आ गई। उन्होंने जय-विजय से पूछा, 'आप सौ योनियों में जन्म लेकर भगवान विष्णु के भक्त बनकर जीने के बाद शाप मुक्त होना चाहेंगे या फिर तीन योनियों में भगवान के शत्रु बनकर जीने के बाद मुक्त होना चाहेंगे?' दोनों ने कहा, 'सौ जन्म भगवान से दूर रहने की बजाय हम तीन जन्मों का ही चयन करेंगे।' जय और विजय ने असुरों के रूप में पहली योनि में हिरण्यकशिपु तथा हिरण्यकशिपु, दूसरी योनि में कुंभकर्ण एवं रावण और तीसरी योनि में शिशुपाल तथा दंतवक्र के रूप में जन्म लिया। भगवान विष्णु ने नरसिंह, राम तथा कृष्ण का अवतार धारण कर उनका संहार कर शाप से मुक्ति दिलाई।

आपकी इच्छाशक्ति में सफलता का बीज


दुर्बल इच्छाशक्ति एक सीमित इच्छाशक्ति है। जैसे ही कठिनाइयां और असफलताएं उसे नष्ट कर देती हैं, अनंत शक्ति के स्रोत से उसका संबंध टूट जाता है। अच्छे उद्देश्य के लिए इच्छाशक्ति के पीछे ईश्वर की इच्छाशक्ति होती है, जो कभी विफल नहीं हो सकती। यहां तक कि ईश्वर की इच्छाशक्ति को रोकने की शक्ति मनु में भी नहीं है। जिस प्रार्थना के पीछे



संकलित प्रेरणा

अनवरत इच्छाशक्ति हो, उस प्रार्थना का उत्तर प्रभु अवश्य देगा। अधिकांश लोग जब कुछ ऐसा पाने की कोशिश कर रहे होते हैं, जिसका उनके लिए बहुत महत्व है, तो वे अत्यधिक अशांत या तनावग्रस्त हो जाते हैं। अधीर अशांत अशांत कार्य ईश्वर की शक्ति को आकर्षित नहीं करते, परंतु इच्छाशक्ति का निरंतर शांत, शिथिलपुं प्रयोग शक्ति को आकर्षित करेगा और अंत में अंत में उत्तर प्राप्त करता है। आप जो कुछ भी करना चाहते हैं, उसकी सफलता का बीज आपकी इच्छाशक्ति में है। कठिनाइयों से बुरी तरह आहत हुई इच्छाशक्ति थोड़े समय के लिए पंगु हो जाती है, परंतु जो कृतसंकल्प मनुष्य वह करता है, 'मेरा शरीर भले ही टूट जाए, परंतु इच्छाशक्ति रूपी मेरा सिर शुक नहीं सकता।' वह इच्छाशक्ति की सबसे बड़ी अभिव्यक्ति को प्रदर्शित करता है। इच्छाशक्ति ही आपको दिव्य बनाती है। जब आप उस इच्छाशक्ति का प्रयोग करना बंद कर देते हैं, तो आप नश्वर मानव बन जाते हैं। बहुत-से लोग कहते हैं कि हम अपनी इच्छाशक्ति का प्रयोग परिस्थितियों को बदलने के लिए नहीं करना चाहिए।

अंतर्मन



ईरान और इजराइल अमेरिका में घमासान युद्ध जारी...

आज की पाती

शेयर धारकों को नुकसान
आजकल शेयर बाजार में गिरावट की खबरें सुर्खियों में हैं। इससे बहुत से लोगों को आर्थिक नुकसान भी हो रहा है। शेयर बाजार में ऐसी गिरावट काफ़ी वर्षों बाद देखने को मिल रही है। इस गिरावट से बहुत से उन लोगों की उम्मीदें धराशायी हुईं जिनका कारोबार ही शेयर बाजार पर निर्भरित है। शेयर कब आगे मुह गिरे, कोई पता नहीं, क्योंकि शेयर बाजार कंपनियों पर ही ज्यादा निर्भर होता है और कोई बड़ी कंपनी जब घाटे में चली जाए, यह पता नहीं चलता। दूसरा, शेयर बाजार दुनिया के किसी भी देश में होने वाले युद्ध से प्रभावित होते हैं। हमारे देश में कम लोग ही शेयर बाजार के बारे में जानते हैं, इसलिए यह कहना उचित होगा कि हमारे देश में शेयर बाजार में निवेश करना ही बेहतर विकल्प नहीं है।
- रमेश कुमार साहू, रायपुर

करंट अफेयर

ईरान में आसान नहीं होगा सत्ता परिवर्तन

ईरान में गुंजे घमाकों ने पश्चिम एशिया को एक बार फिर युद्ध के मुहाने पर ला खड़ा किया है। अमेरिका और इजराइल के संयुक्त हमलों के बाद यह सवाल खड़ा हो गया है कि क्या यह कार्रवाई सिर्फ सैन्य दबाव है या ईरान में सत्ता परिवर्तन की शुरुआत। इन हमलों के पैमाने से आपको क्या संकेत मिलता है? मुझे लगता है कि इन बड़े हमलों और क्षेत्र में कई हफ्तों से तेनात जहाजों तथा कुछ सैनिकों के जरिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उनका प्रशासन ईरान में सत्ता परिवर्तन की कोशिश कर रहा है। मेरा अनुमान है कि अगले कुछ दिनों तक और हमले हो सकते हैं। शुरुआत में वे उस पारंपरिक रणनीति को अपनाएंगे, जिसमें सेना के कमांड और नियंत्रण प्रणाली यानी सैन्य नियंत्रण के मुख्य केंद्रों को निशाना बनाया जाता है। भीड़ियां या अरही खबरों से हमें पहले ही पता लग गया है कि ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई के आवास पर हमला किया गया है। इसमें उनकी मौत हो गई है। यहां अमेरिका की रणनीतिक अंतिम योजना क्या है? सत्ता परिवर्तन करना आसान नहीं होगा। आज ट्रंप ने ईरानी जनता से सरकार को गिराने की अपील की है लेकिन यह बहुत कठिन काम है। बिना हथियारों के लोग उस शासन को मुश्किल गिरा पाएंगे जो बहुत कई नियंत्रण में है और जिसके पास भारी हथियार हैं।



ऑफ बीट

विकसित भारत 2047 युवाओं की आकांक्षाओं पर आधारित

केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि 'विकसित भारत 2047' का विजन भारत के युवाओं की आकांक्षाओं में निहित है। उन्होंने विज्ञान, प्रौद्योगिकी और भविष्य के लिए तैयार नवाचार से होने वाले बदलावों के लिए एक व्यापक रूपरेखा प्रस्तुत की। सिंह ने शनिवार को यहां पांचवीं पी. परमेश्वरन स्मृति व्याख्यान में इस बात पर जोर दिया कि 2047 तक एक विकसित राष्ट्र बनने की दिशा में भारत की यात्रा सशक्त युवा प्रतिभाओं, एक मजबूत अनुसंधान प्रणाली और साहसिक नीतिगत सुधारों पर आधारित होगी। विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं पृथ्वी विज्ञान राज्य मंत्री ने कहा कि 'विकसित भारत' देश के युवाओं को समर्पित है और केंद्र सरकार ने युवा सशक्तिकरण को शासन के केंद्र में रखा है। सिंह ने प्रमुख योजनाओं पर प्रकाश डालते हुए विश्वविद्यालयों व संस्थानों में अनुसंधान संस्कृति को मजबूत करने के लिए राष्ट्रीय अनुसंधान फउंडेशन की स्थापना, साथ ही अटल नवाचार मिशन और अटल टिकरिंग लेब का उल्लेख किया, जो स्कूली विद्यार्थियों में वैज्ञानिक जिज्ञासा और नवाचार को बढ़ावा दे रहे हैं। केंद्रीय मंत्री के अनुसार, भारत ने वैश्विक नवाचार सूचकांक में उल्लेखनीय प्रगति की है, जो नवाचार और अनुसंधान के केंद्र के रूप में इसकी बढ़ती प्रतिष्ठा को दर्शाती है।



ट्रेंड्स

अहम भूमिका निभाएगा तमिलनाडु

तमिलनाडु राष्ट्र के गतिचक्र को आकार देने में निष्ठापूर्ण भूमिका निभाएगा। हस्तगत सांख्यिक लक्ष्य एक विकसित भारत के लिए एक विकसित तमिलनाडु है। तमिलनाडु एक तटस्थ राज्य है और इसके विकास की आग्रे समाधान है। लेकिन जब कठोर और डीजल के पहले सता में थी, तब वे निकटवर्ती थीं।
- नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री

ममता को हटाना चाह रही जनता

तृणमूल परिचय बंगाल की जनसांख्यिकी में बदलाव कर इसे 'परिचय बंगलदेश' बनाना चाहती है। राज्य का एक खरी लोचर बनने वाला नागरिक अब अपनी सुरक्षा और अस्तित्व के लिए ममता बनर्जी की इस सरकार को हटाना चाहता है।
- धर्मो प्रधान, वेटरीय मंत्री

पिक कार्ड से फ्री यात्रा

पिक कार्ड से दिल्ली की महिलाओं को डीटीसी की बसें में तृण यात्रा करने की सुविधा मिलेगी, साथ ही इसका उपयोग नेटो, क्षेत्रीय तैल परामर्शन प्रणाली (आरआईटीएस) और अन्य सार्वजनिक परिवहन सेवाओं में संयुक्त यात्रा के लिए भी किया जा सकेगा।
- रेखा गुप्ता, सीएम, दिल्ली

पीएम को देश मतलब नहीं

आजपा ने एक साल के शासन में राष्ट्रीय राजधानी को बर्बाद कर दिया। यहां की सड़कें टूटी हुई हैं, पानी भी दूषित है और वायु प्रदूषण के कारण लोगों को सांस लेने में परेशानी हो रही है। प्रधानमंत्री का देश से कोई मतलब नहीं है।
- अरविंद केजरीवाल, पूर्व सीएम, दिल्ली



नवी मुंबई में बढ़ते वायुजल स्तर को नियंत्रित करने के उपाय अभी तक ठोस परिणाम हासिल नहीं कर पाए हैं

नवी मुंबई : सुप्रीम कोर्ट और बॉम्बे हाई कोर्ट के शहर में बढ़ते प्रदूषण से निपटने के निर्देश के बाद, नवी मुंबई नगर निगम (एनएमएमसी) ने इस गंभीर समस्या के समाधान के लिए हितधारकों द्वारा लागू किए जाने वाले उपायों को शुरू करते हुए कार्रवाई तेज कर दी है। वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) खराब और अस्वास्थ्यकर बना हुआ है, और नेरुल, वाशी और सानपाड़ा क्षेत्रों में यह सबसे अधिक है। तमाम प्रयासों के

बावजूद नगर निगम स्थिति को सुधारने के लिए संघर्ष कर रहा है। निगम के आयुक्त कैलाश शिंदे ने नवी मुंबई स्थित विभिन्न सरकारी एजेंसियों से वायु प्रदूषण नियंत्रण के लिए कड़े उपाय लागू करने का आग्रह किया है। पिछले कुछ समय से शहर की खराब वायु गुणवत्ता को शिकायत कर रहे निवासियों में असंतोष बढ़ रहा है। इसी को देखते हुए नगर निगम ने प्रदूषण को कम करने के लिए निर्माण स्थलों पर नियम लागू किए हैं। एक विशेष समीक्षा बैठक में विभिन्न एजेंसियों

के अधिकारियों को आवश्यक उपायों को और अधिक सख्ती से लागू करने के निर्देश दिए गए। नवी मुंबई में वायु गुणवत्ता से जुड़े महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास निगम और क्षेत्रीय परिवहन विभाग के वरिष्ठ अधिकारी बैठक में शामिल थे। निवासियों का मानना है कि एजेंसियां इस मुद्दे पर केवल बातें कर रही हैं और कुछ नहीं कर रही हैं, जबकि हजारों लोग इससे परेशान हैं। पिछले कुछ हफ्तों से शहर में वायु गुणवत्ता का स्तर

अस्वास्थ्यकर बना हुआ है। इन दिनों शहर में औसत वायु गुणवत्ता स्तर प्रतिदिन 100 से 200 के बीच बना हुआ है। शिंदे ने कहा कि एमपीसीबी, एमआईडीसी, सिडको, आरटीओ, पीडब्ल्यूडी, राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, रेलवे और एमएमआरडीए सहित विभिन्न प्राधिकरण नवी मुंबई में वायु गुणवत्ता के लिए सामूहिक रूप से जिम्मेदार हैं, और सभी बिल्डरों के लिए यह आवश्यक है कि वे अपने अधीन निर्माण स्थलों पर वायु प्रदूषण नियंत्रण

के लिए नगर निगम द्वारा जारी मानक संचालन प्रक्रियाओं (एसओपी) का पालन करें। एनएमएमसी क्षेत्र में विभिन्न प्राधिकरणों और निजी डेवलपर्स द्वारा 700 से अधिक छोटे-बड़े निर्माण परियोजनाएं चल रही हैं। शिंदे ने निर्देश दिया कि इन सभी स्थलों का विभागीय अधिकारी स्तर पर निरीक्षण किया जाए और मानक संचालन प्रक्रियाओं (एसओपी) के पालन को सुनिश्चित करने के लिए अगले कुछ दिनों के भीतर

एक रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए। उन्होंने निर्देश दिया कि नवी मुंबई में वायु गुणवत्ता अच्छी होनी चाहिए और यदि डेवलपर्स एसओपी का पालन नहीं करते पाए जाते हैं, तो काम रोक दिया जाए। यदि इसके बाद भी सुधार नहीं होता है, तो एक नोटिस जारी किया जाए जिसमें कहा जाए कि निर्माण अनुमति प्रमाण पत्र रद्द कर दिया जाएगा। सभी निर्माण स्थलों, बड़े निर्माण स्थलों और अन्य परियोजनाओं पर वायु गुणवत्ता निगरानी

उपकरण लगाना अनिवार्य है। शिंदे ने कहा, एसपी निर्माण स्थलों, चाहे वे छोटे हों या बड़े, पर वायु गुणवत्ता निगरानी उपकरण लगाना और उनकी जानकारी ऐप पर एकीकृत करना अनिवार्य था। उन्होंने एमपीसीबी से आग्रह किया कि वह आरएमसी संयंत्रों में वे उपकरण लगाए, और एमआईडीसी और सिडको अपने द्वारा संचालित कार्यस्थलों पर इन्हें लगाए और तुरंत एकीकृत करें। उन्होंने यह भी कहा कि इस

संबंध में एनएमएमसी के विभागीय अधिकारियों और पर्यावरण विभाग के साथ-साथ साइट सुपरवाइजर्स और डेवलपर्स को भी अलर्ट जारी किया जाना चाहिए। आयुक्त ने कहा कि किसी भी प्रकार की लापरवाही बढ़ाए नहीं की जाएगी। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि वायु गुणवत्ता निगरानी उपकरण एमपीसीबी द्वारा अनुमोदित अधिकृत आपूर्तिकर्ताओं से ही खरीदे जाने चाहिए ताकि सूचकांकों की प्रामाणिकता सुनिश्चित हो सके।

न्यायालय नजूल अधिकारी, अम्बिकापुर जिला-सरगुजा
रा०प्र०क्र०- /ब- 121/2025-26
ईशतहार

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है, कि आवेदक मो० सरवर हेवात खान आ० मो० नजूल होदा खान व अन्य 01 निवासी महामाया पार्क जरहागढ़ तहसील अम्बिकापुर जिला सरगुजा ङ्ग० के द्वारा शीट नम्बर 07 रिंग रोड जरहागढ़ नगर अम्बिकापुर स्थित नजूल भूमि प्लॉट नम्बर 2335/2, 2336/4 रयामा 0.023/4, 0.031/4 एक (242.82 वर्गमीटर) भूमि पर प्रस्तावित नकशानुसार अनुसार भूतल पर रकबा 138.14 वर्गमीटर प्रथम तल पर रकबा 138.14 वर्गमीटर पर आवासीय भवन निर्माण कराने हेतु आवेदन पत्र मय मेंटेन्स खसरा एवं प्रस्तावित नक्शा को प्रति सहित आवेदन पत्र न्यायालय अवर कलेक्टर अम्बिकापुर जिला-सरगुजा ङ्ग० में प्रस्तुत किया है जो जांच उपवेदनार्थ इस न्यायालय को प्राप्त हुआ है। उक्त संबंध में यदि किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो अपना लिखित दावा/आपत्ति स्वयं अथवा अपने अधिवक्ता के माध्यम से दिनांक- 18/03/2026 तक इस न्यायालय में उपस्थित होकर प्रस्तुत कर सकते हैं। नियत तिथि के बाद प्राप्त दावा/ आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा। आज दिनांक- 27/02/2026 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालयीन पदमुद्रा से जारी।

नजूल अधिकारी, अम्बिकापुर

न्यायालय, अनुविभागीय अधिकारी (रा.) अम्बिकापुर, जिला सरगुजा, (ङ्ग०)
ईशतहार

रा०प्र०क्र०./अ-2/2025-26

एतद् द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक आलोक कुमार जायसवाल पिता मंगल प्रसाद जाति जायसवाल निवासी बतरा तहसील भैसाथान जिला सूरजपुर (ङ्ग०) के द्वारा अपने स्वामित्व एवं आधिक्य की भूमि स्थित ग्राम फुन्दुरडिहारी तहसील अम्बिकापुर जिला सरगुजा (ङ्ग०) खसरा नंबर 136/148 रकबा 0.016 हे० भूमि को कृषि भिन्न आवासीय प्रयोजन हेतु व्यपवर्तन कराने के लिए भूमि की बी-1, खसरा, नक्शा, रजिस्ट्री की प्रति, आदि सहित आवेदन प्रस्तुत किया है, जो इस न्यायालय में विचारधीन है। अतएव उक्त संबंध में जिस किसी व्यक्ति या संस्था को कोई आपत्ति हो, तो निर्धारित सुनवाई तिथि 10/03/2026 को मेरे न्यायालय में अथवा अधीक्षक भू-अभिलेख के कार्यालय में स्वयं अथवा अपने अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित होकर आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है। निर्धारित समयावधि के पश्चात प्राप्त दावा-आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा। आज दिनांक 03/03/2026 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालयीन पदमुद्रा से जारी।

अनुविभागीय अधिकारी (रा.) अम्बिकापुर

न्यायालय, अनुविभागीय अधिकारी (रा.) अम्बिकापुर, जिला सरगुजा, (ङ्ग०)
ईशतहार

रा०प्र०क्र०./अ-2/2025-26

एतद् द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक संजू देवी पत्नी प्रवीन्द्र कुमार सिंह जाति क्षत्रिय निवासी जरही तहसील प्रतापपुर जिला बलरामपुर (ङ्ग०) के द्वारा अपने स्वामित्व एवं आधिक्य की भूमि स्थित ग्राम गंगपुरखुर्द तहसील अम्बिकापुर जिला सरगुजा (ङ्ग०) खसरा नंबर 170/2.171/16 रकबा 0.010, 0.022 हे० भूमि को कृषि भिन्न आवासीय प्रयोजन हेतु व्यपवर्तन कराने के लिए भूमि की बी-1, खसरा, नक्शा, रजिस्ट्री की प्रति, आदि सहित आवेदन प्रस्तुत किया है, जो इस न्यायालय में विचारधीन है। अतएव उक्त संबंध में जिस किसी व्यक्ति या संस्था को कोई आपत्ति हो, तो निर्धारित सुनवाई तिथि 10/03/2026 को मेरे न्यायालय में अथवा अधीक्षक भू-अभिलेख के कार्यालय में स्वयं अथवा अपने अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित होकर आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है। निर्धारित समयावधि के पश्चात प्राप्त दावा-आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा। आज दिनांक 03/03/2026 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालयीन पदमुद्रा से जारी।

अनुविभागीय अधिकारी (रा.) अम्बिकापुर

न्यायालय, अनुविभागीय अधिकारी (रा.) अम्बिकापुर, जिला सरगुजा, (ङ्ग०)
ईशतहार

रा०प्र०क्र०./अ-2/2025-26

एतद् द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक नील गुप्ता पत्नी गणेश कुमार गुप्ता जाति गैरिया निवासी मायापुर तहसील अम्बिकापुर जिला सरगुजा (ङ्ग०) के द्वारा अपने स्वामित्व एवं आधिक्य की भूमि स्थित ग्राम मायापुर तहसील अम्बिकापुर जिला सरगुजा (ङ्ग०) खसरा नंबर 121/16 रकबा 0.014 हे० भूमि को कृषि भिन्न आवासीय प्रयोजन हेतु व्यपवर्तन कराने के लिए भूमि की बी-1, खसरा, नक्शा, रजिस्ट्री की प्रति, आदि सहित आवेदन प्रस्तुत किया है, जो इस न्यायालय में विचारधीन है। अतएव उक्त संबंध में जिस किसी व्यक्ति या संस्था को कोई आपत्ति हो, तो निर्धारित सुनवाई तिथि 10/03/2026 को मेरे न्यायालय में अथवा अधीक्षक भू-अभिलेख के कार्यालय में स्वयं अथवा अपने अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित होकर आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है। निर्धारित समयावधि के पश्चात प्राप्त दावा-आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा। आज दिनांक 03/03/2026 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालयीन पदमुद्रा से जारी।

अनुविभागीय अधिकारी (रा.) अम्बिकापुर

न्यायालय, अनुविभागीय अधिकारी (रा.) अम्बिकापुर, जिला सरगुजा, (ङ्ग०)
ईशतहार

रा०प्र०क्र०./अ-2/2025-26

एतद् द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक सुरेश, राजेश पिता श्यामलाल जाति अग्रवाल निवासी अम्बिकापुर तहसील अम्बिकापुर जिला सरगुजा (ङ्ग०) के द्वारा अपने स्वामित्व एवं आधिक्य की भूमि स्थित ग्राम फुन्दुरडिहारी तहसील अम्बिकापुर जिला सरगुजा (ङ्ग०) खसरा नंबर 434/32, 434/276 रकबा 0.257, 0.095 हे० भूमि को कृषि भिन्न आवासीय प्रयोजन हेतु व्यपवर्तन कराने के लिए भूमि की बी-1, खसरा, नक्शा, रजिस्ट्री की प्रति, आदि सहित आवेदन प्रस्तुत किया है, जो इस न्यायालय में विचारधीन है। अतएव उक्त संबंध में जिस किसी व्यक्ति या संस्था को कोई आपत्ति हो, तो निर्धारित सुनवाई तिथि 10/03/2026 को मेरे न्यायालय में अथवा अधीक्षक भू-अभिलेख के कार्यालय में स्वयं अथवा अपने अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित होकर आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है। निर्धारित समयावधि के पश्चात प्राप्त दावा-आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा। आज दिनांक 03/03/2026 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालयीन पदमुद्रा से जारी।

अनुविभागीय अधिकारी (रा.) अम्बिकापुर

न्यायालय, अनुविभागीय अधिकारी (रा.) अम्बिकापुर, जिला सरगुजा, (ङ्ग०)
ईशतहार

रा०प्र०क्र०./अ-2/2025-26

एतद् द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक सुरेश, राजेश पिता श्यामलाल जाति अग्रवाल निवासी अम्बिकापुर तहसील अम्बिकापुर जिला सरगुजा (ङ्ग०) के द्वारा अपने स्वामित्व एवं आधिक्य की भूमि स्थित ग्राम गंगपुरखुर्द तहसील अम्बिकापुर जिला सरगुजा (ङ्ग०) खसरा नंबर 32/11 रकबा 0.020 हे० भूमि को कृषि भिन्न आवासीय प्रयोजन हेतु व्यपवर्तन कराने के लिए भूमि की बी-1, खसरा, नक्शा, रजिस्ट्री की प्रति, आदि सहित आवेदन प्रस्तुत किया है, जो इस न्यायालय में विचारधीन है। अतएव उक्त संबंध में जिस किसी व्यक्ति या संस्था को कोई आपत्ति हो, तो निर्धारित सुनवाई तिथि 10/03/2026 को मेरे न्यायालय में अथवा अधीक्षक भू-अभिलेख के कार्यालय में स्वयं अथवा अपने अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित होकर आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है। निर्धारित समयावधि के पश्चात प्राप्त दावा-आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा। आज दिनांक 03/03/2026 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालयीन पदमुद्रा से जारी।

अनुविभागीय अधिकारी (रा.) अम्बिकापुर

न्यायालय नजूल अधिकारी, अम्बिकापुर जिला-सरगुजा
रा०प्र०क्र०/ब-121/2025-26
ईशतहार

एतद् द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है, कि आवेदक महेन्द्र असादी आ० स्व० लालमन प्रसाद असादी एवं अन्य 04 निवासी जायसवाल चित्र मंदिर के पीछे केदापुर, तहसील अम्बिकापुर, जिला-सरगुजा ङ्ग० के द्वारा शीट नम्बर 02 मोहल्ला खोटेनपारा, नगर अम्बिकापुर स्थित नजूल भूमि प्लॉट नम्बर 361, 362 रकबा 0.03, 0.06 एकड़ पर प्रस्तावित नकशानुसार अनुसार भू-तल पर रकबा 232.4 वर्गमीटर, प्रथम तल पर रकबा 207.3 वर्गमीटर एवं द्वितीय तल पर रकबा 207.3 वर्गमीटर, तृतीय तल पर रकबा 207.3 वर्गमीटर पर आवासीय भवन निर्माण कराने हेतु आवेदन पत्र मय मेंटेन्स खसरा एवं प्रस्तावित नक्शा को प्रति सहित आवेदन पत्र न्यायालय अवर कलेक्टर अम्बिकापुर जिला-सरगुजा ङ्ग० में प्रस्तुत किया है जो जांच उपवेदनार्थ इस न्यायालय को प्राप्त हुआ है। उक्त संबंध में यदि किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो अपना लिखित दावा/आपत्ति स्वयं अथवा अपने अधिवक्ता के माध्यम से दिनांक 20/03/2026 तक इस न्यायालय में उपस्थित होकर प्रस्तुत कर सकते हैं। नियत तिथि के बाद प्राप्त दावा/आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा। आज दिनांक- 02/03/2026 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालयीन पदमुद्रा से जारी।

नजूल अधिकारी, अम्बिकापुर

न्यायालय तहसीलदार अम्बिकापुर के न्यायालय में मामला क्रमांक: 202603020700017/ विषय- अ- 27

मामले की श्रेणी- राजस्व सन- 2025-2026

केशवपुर (प.ह.न. 0.0024), पक्षकारों का विवरण - आवेदक पक्षकार - रौशन, अनावेदक पक्षकार-शिवबालक अग्रिया वगै०

ईशतहार

आवेदक रौशन अग्रिया आ० स्व० रूपन अग्रिया, निवासी ग्राम केशवपुर, तहसील अम्बिकापुर, जिला सरगुजा ङ्ग० के द्वारा ग्राम केशवपुर स्थित खसरा नंबर 253/2, 254/2, 261/2, 287/1 रकबा क्रमशः 0.008, 0.210, 0.121, 0.089 हे० भूमि को अपने जीवकाल में अपने तीनों पुत्रों के कक्ष में बटवा कर किये जाने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है। उक्त संबंध में जिस किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो पेशी दिनांक 25/03/2026 के पूर्व न्यायालय में स्वयं अथवा अपने अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित होकर दावा आपत्ति प्रस्तुत कर सकते हैं। समय सीमा के बाद प्राप्त दावा आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा। यह ईशतहार मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से आज दिनांक 02/03/2026 को जारी किया जाता है।

तहसीलदार अम्बिकापुर

खास होगी अयोध्या की होली उड़ेगा गुलाल

अयोध्या के राम मंदिर में इस साल हर्बल गुलाल और फूलों से होली खेलने की तैयारी की जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने होली के पर्व पर मंदिरों के लिए हर्बल गुलाल भेजा है।

सीएम योगी के भेजे हर्बल गुलाल से लगेगा रामलला को टीका



एजेसी अयोध्या

होली के पर्व पर मंदिरों के लिए हर्बल गुलाल भेजा है। राम मंदिर ट्रस्ट के ट्रस्टी डॉ. अनिल मिश्र ने बताया कि सीएम के भेजे हर्बल गुलाल को प्रभु राम लला सहित अन्य विग्रहों को अर्पित कर इससे होली खेली जाएगी।

इसके अलावा फूलों की होली खेलने की भी व्यवस्था की जा रही है। उन्होंने बताया कि होली के मुख्य पर्व पर रामलला के लिए 56 भोग बनेगा उनका आकर्षक श्रृंगार किया जाएगा।

उन्होंने बताया कि होली की शुरुआत रंगपरी एकादशी से ही हो चुकी है। इस दौरान रोजाना प्रभु रामलला को गुलाल अर्पित किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि मंदिर में सांस्कृतिक दल होली गीत फगुआ आदि का गायन कर रहे हैं। पर्व पर रामलला के दर्शन करने के लिए देश भर से आने वाले श्रद्धालुओं की भीड़ 1 लाख के करीब पहुंच गई है। अयोध्या के 5 हजार से अधिक मंदिरों में रंगपरी एकादशी से रंगोत्सव चल रहा है, जो 4 मार्च तक जारी रहेगा।

मंदिरों के कपाट 3 मार्च को बंद रहेंगे

अयोध्या के मंदिरों के कपाट चंद्र गहण के मौके पर 3 मार्च को बंद रहेंगे। वहीं राम जन्म भूमि मंदिर ने अगले अगले संस्था आरती के शो गान आरती के समय के साथ चंद्रगहण की समय सांस्कृतिक कार्यक्रमों की शुरुआत कर दी है। उक्त दिनांक राम लला के दर्शन का समय आधा घंटा बढ़ाने का निर्णय किया है। राम मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष डॉ. अनिल मिश्र ने बताया कि 3 मार्च को चंद्र गहण के कारण राम जन्म भूमि मंदिर के कपाट सुबह 9-30 बजे से रात 8:30 बजे तक बंद रहेंगे। इस दौरान श्रद्धालुओं का प्रवेश मंदिर में बंद रहेगा।

दर्शन की अवधि आधा घंटा बढ़ाई गई

मंदिर के कपाट संस्था आरती के समय से खुल जाएंगे। उसी के साथ दर्शन भी शुरू हो जाएंगे। चंद्र गहण के चलते राम लला के दर्शन की अवधि आधा घंटा बढ़ा दी गई है। चंद्र गहण की तिथि को प्रभु रामलला की भोग आरती रात 9:30 बजे होगी और दर्शन 10:30 की जगह 11 बजे रात तक चलेंगे।

हरगढ़ बाजार में पुलिस का फ्लैग मार्च, शांति व्यवस्था का दिाया संदेश

जिग्ना। थाना क्षेत्र में शांति एवं कानून व्यवस्था को सुदृढ़ बनाए रखने के उद्देश्य से थाना प्रभारी संजय सिंह के नेतृत्व में पुलिस ने बुधवार को हरगढ़ बाजार में फ्लैग मार्च किया। फ्लैग मार्च के दौरान पीएसो बल व थाने के पुलिसकर्मी पूरी मुस्ती के साथ बाजार एवं आसपास के क्षेत्रों में चक्क्रमण करते नजर आए। थाना प्रभारी संजय सिंह ने अपनी टीम के साथ बाजार के प्रमुख मार्गों, चौहौली और भीड़-भाड़ वाले स्थानों पर पैदल गश्त की।

न्यायालय, अनुविभागीय अधिकारी (रा.) अम्बिकापुर, जिला सरगुजा, (ङ्ग०)
ईशतहार

रा०प्र०क्र०/अ-2/2025-26

एतद् द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक निमला गुप्ता पत्नी परमेश्वर प्रसाद गुप्ता निवासी रिंग रोड बौरापारा अम्बिकापुर तहसील अम्बिकापुर जिला सरगुजा (ङ्ग०) के द्वारा अपने स्वामित्व एवं आधिक्य की भूमि स्थित ग्राम अम्बिकापुर तहसील अम्बिकापुर जिला सरगुजा (ङ्ग०) खसरा नंबर 2070/37 रकबा 0.074 हे० में से 0.049 हे० भूमि को कृषि भिन्न आवासीय प्रयोजन हेतु व्यपवर्तन कराने के लिए भूमि की बी-1, खसरा, रजिस्ट्री की प्रति, आदि सहित आवेदन प्रस्तुत किया है, जो इस न्यायालय में विचारधीन है। अतएव उक्त संबंध में जिस किसी व्यक्ति या संस्था को कोई आपत्ति हो, तो निर्धारित सुनवाई तिथि 10/03/2026 को मेरे न्यायालय में अथवा अधीक्षक भू-अभिलेख के कार्यालय में स्वयं अथवा अपने अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित होकर आपत्ति प्रस्तुत कर सकते हैं। निर्धारित समयावधि के पश्चात प्राप्त दावा-आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा। आज दिनांक 03/03/2026 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालयीन पदमुद्रा से जारी।

अनुविभागीय अधिकारी (रा.) अम्बिकापुर

न्यायालय, अनुविभागीय अधिकारी (रा.) अम्बिकापुर, जिला सरगुजा, (ङ्ग०)
ईशतहार

रा०प्र०क्र०./अ-2/2025-26

एतद् द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक सुचिता केरकेन्द्र पत्नी रंजीत केरकेन्द्र जाति उरांव निवासी नमनाकला तहसील अम्बिकापुर जिला सरगुजा (ङ्ग०) के द्वारा अपने स्वामित्व एवं आधिक्य की भूमि स्थित ग्राम नमनाकला तहसील अम्बिकापुर जिला सरगुजा (ङ्ग०) खसरा नंबर 157/682 रकबा 0.036 हे० भूमि को कृषि भिन्न आवासीय प्रयोजन हेतु व्यपवर्तन कराने के लिए भूमि की बी-1, खसरा, रजिस्ट्री की प्रति, आदि सहित आवेदन प्रस्तुत किया है, जो इस न्यायालय में विचारधीन है। अतएव उक्त संबंध में जिस किसी व्यक्ति या संस्था को कोई आपत्ति हो, तो निर्धारित सुनवाई तिथि 10/03/2026 को मेरे न्यायालय में अथवा अधीक्षक भू-अभिलेख के कार्यालय में स्वयं अथवा अपने अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित होकर आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है। निर्धारित समयावधि के पश्चात प्राप्त दावा-आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा। आज दिनांक 03/03/2026 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालयीन पदमुद्रा से जारी।

अनुविभागीय अधिकारी (रा.) अम्बिकापुर

न्यायालय, अनुविभागीय अधिकारी (रा.) अम्बिकापुर, जिला सरगुजा, (ङ्ग०)
ईशतहार

रा०प्र०क्र०/अ-2/2025-26

एतद् द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक मनोज कुमार साह आ० कुलचन्द साह जाति उरांव निवासी मायापुर अम्बिकापुर तहसील अम्बिकापुर जिला सरगुजा (ङ्ग०) के द्वारा अपने स्वामित्व एवं आधिक्य की भूमि स्थित ग्राम अम्बिकापुर तहसील अम्बिकापुर जिला सरगुजा (ङ्ग०) खसरा नंबर 1765/55 रकबा 0.008 हे० भूमि को कृषि भिन्न आवासीय प्रयोजन हेतु व्यपवर्तन कराने के लिए भूमि की बी-1, खसरा, रजिस्ट्री की प्रति, आदि सहित आवेदन प्रस्तुत किया है, जो इस न्यायालय में विचारधीन है। अतएव उक्त संबंध में जिस किसी व्यक्ति या संस्था को कोई आपत्ति हो, तो निर्धारित सुनवाई तिथि 10/03/2026 को मेरे न्यायालय में अथवा अधीक्षक भू-अभिलेख के कार्यालय में स्वयं अथवा अपने अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित होकर आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है। निर्धारित समयावधि के पश्चात प्राप्त दावा-आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा। आज दिनांक 03/03/2026 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालयीन पदमुद्रा से जारी।

अनुविभागीय अधिकारी (रा.) अम्बिकापुर

न्यायालय नजूल अधिकारी, अम्बिकापुर जिला-सरगुजा
रा०प्र०क्र०/अ-20(1)/2025-26
ईशतहार

एतद् द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक कैलाश देवी पाणी श्री रामनारायण शर्मा, निवासी नेहरू वार्ड सतीपारा, तहसील अम्बिकापुर जिला सरगुजा (ङ्ग०) के द्वारा आवेदन प्रस्तुत किया गया है कि उनके स्वामित्व एवं अधिपत्य की भूमि मोहल्ला सतीपारा, नगर अम्बिकापुर शीट नंबर-02 स्थित नजूल भूखण्ड क्रमांक 639/2, 641/2 रकबा 0.011/2 0.081/2 एकड़ भूमि को लीज समाप्ति तिथि 31/03/2026 है। आवेदिका द्वारा लीज अवधि बढ़ाये जाने आवेदन पत्र मय मेंटेन्स खसरा की प्रति सहित प्रस्तुत किया गया है। अतः उक्त के संबंध में यदि किसी व्यक्ति अथवा संस्था को कोई दावा अथवा आपत्ति हो तो अपना लिखित दावा/आपत्ति स्वयं अथवा अपने अधिवक्ता के माध्यम से दिनांक 16/03/2026 तक इस न्यायालय में उपस्थित होकर प्रस्तुत कर सकते हैं। नियत तिथि के बाद प्राप्त दावा/आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा। आज दिनांक 26/02/2026 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालयीन पदमुद्रा से जारी।

नजूल अधिकारी, अम्बिकापुर

न्यायालय नजूल अधिकारी, अम्बिकापुर जिला-सरगुजा
रा०प्र०क्र०- /अ-20(1)/2025-26
ईशतहार

एतद् द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि अर्चना गुप्ता पत्नी शैलेन्द्र कुमार गुप्ता जाति सुडी निवासी गोधनपुर अम्बिकापुर तहसील अम्बिकापुर जिला सरगुजा (ङ्ग०) के द्वारा अपने स्वामित्व एवं आधिक्य की भूमि स्थित ग्राम फुन्दुरडिहारी तहसील अम्बिकापुर जिला सरगुजा (ङ्ग०) खसरा नंबर 215/52 रकबा 0.024 हे० भूमि को कृषि भिन्न आवासीय प्रयोजन हेतु व्यपवर्तन कराने के लिए भूमि की बी-1, खसरा, नक्शा, भूमि उपयोगिता प्रमाण पत्र, रजिस्ट्री की प्रति, आदि सहित आवेदन प्रस्तुत किया है, जो इस न्यायालय में विचारधीन है। अतएव उक्त संबंध में जिस किसी व्यक्ति या संस्था को कोई आपत्ति हो, तो निर्धारित सुनवाई तिथि 10/03/2026 को मेरे न्यायालय में अथवा अधीक्षक भू-अभिलेख के कार्यालय में स्वयं अथवा अपने अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित होकर आपत्ति प्रस्तुत कर सकते हैं। निर्धारित समयावधि के पश्चात प्राप्त दावा-आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा। आज दिनांक 03/03/2026 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालयीन पदमुद्रा से जारी।

अनुविभागीय अधिकारी (रा.) अम्बिकापुर

न्यायालय, अनुविभागीय अधिकारी (रा.) अम्बिकापुर, जिला सरगुजा, (ङ्ग०)
ईशतहार

रा०प्र०क्र०/अ-2/2025-26

एतद् द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि अर्चना गुप्ता पत्नी शैलेन्द्र कुमार गुप्ता जाति सुडी निवासी गोधनपुर अम्बिकापुर तहसील अम्बिकापुर जिला सरगुजा (ङ्ग०) के द्वारा अपने स्वामित्व एवं आधिक्य की भूमि स्थित ग्राम फुन्दुरडिहारी तहसील अम्बिकापुर जिला सरगुजा (ङ्ग०) खसरा नंबर 6/4 रकबा 0.024 हे० भूमि को कृषि भिन्न आवासीय प्रयोजन हेतु व्यपवर्तन कराने के लिए भूमि की बी-1, खसरा, नक्शा, भूमि उपयोगिता प्रमाण पत्र, रजिस्ट्री की प्रति, आदि सहित आवेदन प्रस्तुत किया है, जो इस न्यायालय में विचारधीन है। अतएव उक्त संबंध में जिस किसी व्यक्ति या संस्था को कोई आपत्ति हो, तो निर्धारित सुनवाई तिथि 10/03/2026 को मेरे न्यायालय में अथवा अधीक्षक भू-अभिलेख के कार्यालय में स्वयं अथवा अपने अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित होकर आपत्ति प्रस्तुत कर सकते हैं। निर्धारित समयावधि के पश्चात प्राप्त दावा-आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा। आज दिनांक 03/03/2026 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालयीन पदमुद्रा से जारी।

अनुविभागीय अधिकारी (रा.) अम्बिकापुर

न्यायालय, अनुविभागीय अधिकारी (रा.) अम्बिकापुर, जिला सरगुजा, (ङ्ग०)
ईशतहार

रा०प्र०क्र०./अ-2/2025-26

एतद् द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक प्रवीण कुमार मिंज पिता तेलेश्वर मिंज जाति उरांव निवासी नमनाकला तहसील अम्बिकापुर जिला सरगुजा (ङ्ग०) के द्वारा अपने स्वामित्व एवं आधिक्य की भूमि स्थित ग्राम नमनाकला तहसील अम्बिकापुर जिला सरगुजा (ङ्ग०) खसरा नंबर 6/4 रकबा 0.024 हे० भूमि को कृषि भिन्न आवासीय प्रयोजन हेतु व्यपवर्तन कराने के लिए भूमि की बी-1, खसरा, नक्शा, रजिस्ट्री की प्रति, आदि सहित आवेदन प्रस्तुत किया है, जो इस न्यायालय में विचारधीन है। अतएव उक्त संबंध में जिस किसी व्यक्ति या संस्था को कोई आपत्ति हो, तो निर्धारित सुनवाई तिथि 10/03/2026 को मेरे न्यायालय में अथवा अधीक्षक भू-अभिलेख के कार्यालय में स्वयं अथवा अपने अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित होकर आपत्ति प्रस्तुत कर सकते हैं। निर्धारित समयावधि के पश्चात प्राप्त दावा-आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा। आज दिनांक 03/03/2026 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालयीन पदमुद्रा से जारी।

अनुविभागीय अधिकारी (रा.) अम्बिकापुर

न्यायालय तहसीलदार अम्बिकापुर के न्यायालय में मामला क्रमांक: 202602020700182

विषय- अ-6 अ

मामले की श्रेणी राजस्व सन-2025-2026

मुडेसा प.ह.न. 00030 [158/5(0.1050 हे०)]

पक्षकारों का विवरण - आवेदक पक्षकार - पियार साय राजवाड़े, अनावेदक पक्षकार -

ईशतहार

आवेदक पियार साय राजवाड़े आ० स्व० आलम साय राजवाड़े, निवासी ग्राम मुडेसा, तहसील अम्बिकापुर, जिला सरगुजा ङ्ग० के द्वारा आवेदन प्रस्तुत कर बताया गया है कि आवेदक के संयुक्त स्वामित्व एवं अधिपत्य को ग्राम मुडेसा स्थित कुल खसरा नंबर 16 कुल रकबा 2.896 हे० भूमि के राजस्व अधिलेखों में आवेदक का नाम वृत्तियार प्यार साय दर्ज हो गया है जबकि आवेदक का वास्तविक नाम पियार साय राजवाड़े है। आवेदक के द्वारा उक्त वृत्ति को सुधार किये जाने हेतु निवेदन किया गया है। उक्त संबंध में जिस किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो पेशी दिनांक 06/03/2026 के पूर्व न्यायालय में स्वयं अथवा अपने अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित होकर दावा आपत्ति प्रस्तुत कर सकते हैं। समय सीमा के बाद प्राप्त दावा आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा। यह ईशतहार मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से आज दिनांक 17/02/2026 को जारी किया जाता है।

तहसीलदार अम्बिकापुर

कोरिया दुष्कर्म मामला: हाई कोर्ट ने निचली अदालत का फैसला पलटा, मिशन स्कूल के फादर को उम्रकैद

छत्तीसगढ़ फ्रंटलाइन

भटगांव। कोरिया जिले के ज्योति मिशन स्कूल से जुड़े वर्ष 2015 के बहुचर्चित दुष्कर्म प्रकरण में छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए निचली अदालत के निर्णय को पलट दिया है। डिवीजन बेंच ने ट्रायल कोर्ट द्वारा आरोपियों को बरी किए जाने को त्रुटिपूर्ण बताते हुए मुख्य आरोपी फादर जोसेफ क्लारा स्वामी को आजीवन कारावास (उम्रकैद) की सजा सुनाई है। इसके साथ ही घटना को छिपाने और पीड़िता को मदद न करने की दोषी पाई गई दो महिला स्टाफ, फिलोमिना केरकेट्टा और किसमरिया को 7-7 वर्ष के कठोर कारावास तथा जुमानों की सजा दी गई है। अदालत ने सभी दोषियों को

दो सप्ताह के भीतर ट्रायल कोर्ट में आत्मसमर्पण करने के निर्देश दिए हैं, अन्यथा पुलिस द्वारा गिरफ्तारी की कार्रवाई की जाएगी।

क्या है मामला

मामला कोरिया जिले के एक मिशन स्कूल के हाॅस्टल से जुड़ा है, जहां वर्ष 2015 में चौथी कक्षा में पढ़ने वाली 9 वर्षीय छात्रा के साथ दुष्कर्म की घटना सामने आई थी। पीड़िता ने बताया था कि घटना के बाद उसने इसकी शिकायत स्कूल प्रबंधन से की, लेकिन आरोप है कि मामले को दबाने का प्रयास किया गया और उसे चुप रहने के लिए डराया-धमकाया गया।

ट्रायल कोर्ट ने किया था बरी

9 जनवरी 2017 को बैकुंठपुर



की फास्ट ट्रेक कोर्ट ने साक्ष्यों को अपर्याप्त मानते हुए तीनों आरोपियों को बरी कर दिया था। इस फैसले को राज्य सरकार ने हाई कोर्ट में चुनौती दी थी।

हाई कोर्ट की टिप्पणी

हाई कोर्ट ने सुनवाई के दौरान मेडिकल और फॉरेंसिक साक्ष्यों

पर विशेष जोर दिया। न्यायालय ने अपने फैसले में कहा कि पीड़िता के शरीर पर चोटों के स्पष्ट प्रमाण मिले थे और एफएएसएल रिपोर्ट में कपड़ों पर मानव वीर्य के अंश पाए जाने की पुष्टि हुई थी, जो अपराध की पुष्टि करते हैं। अदालत ने यह भी कहा कि नाबालिग पीड़िता की गवाही अपने आप में विश्वसनीय

और पर्याप्त है। ऐसे मामलों में अतिरिक्त स्वतंत्र गवाह की अनिवार्यता नहीं होती। ट्रायल कोर्ट द्वारा तकनीकी आधार पर साक्ष्यों को खारिज करना उचित नहीं था।

कैसे कितनी सजा

मुख्य आरोपी फादर जोसेफ क्लारा स्वामी को भारतीय दंड संहिता की संबंधित धाराओं और पॉक्सो एक्ट के तहत दोषी ठहराते हुए उम्रकैद और जुमानों की सजा। फिलोमिना केरकेट्टा और किसमरिया को अपराध छिपाने व पीड़िता को मदद न करने के अपराध में 7-7 वर्ष का कठोर कारावास और जुमानों।

महत्वपूर्ण फैसला

हाई कोर्ट का यह निर्णय बाल सुरक्षा और न्याय व्यवस्था के

दृष्टिकोण से अहम माना जा रहा है। अदालत ने स्पष्ट किया कि नाबालिगों से जुड़े मामलों में संवेदनशीलता और साक्ष्यों का समुचित मूल्यांकन अत्यंत आवश्यक है।

भटगांव से भी जुड़ा रहा नाम

जानकारी के अनुसार फादर जोसेफ धना स्वामी कुछ समय तक भटगांव स्थित ए.डी. जुबली स्कूल में प्राचार्य के रूप में पदस्थ रहे थे। हाई कोर्ट के तारा फैसले के बाद भटगांव क्षेत्र में भी इस मामले को लेकर चर्चा तेज हो गई है। इस फैसले के बाद एक बार फिर बाल संरक्षण कानूनों के प्रभावी क्रियान्वयन और संस्थागत जवाबदेही पर चर्चा तेज हो गई है।

मनपा स्वास्थ्य विभाग का बजट बढ़ाया जाय: राजा भाऊ सोनटक्के

छत्तीसगढ़ फ्रंटलाइन

मुंबई, : हाल ही में मुंबई मनपा ने सालाना बजट पेश किया। जिसमें स्वास्थ्य विभाग के लिए मात्र 7456 करोड़ रूपए का प्रस्ताव पारित किया गया। जो कि मुंबई के मनपा अस्पतालों के लिए ऊंट के मुंह में जीरा वाली कहावत चरितार्थ हो रही है। जिसके कारण हिंदू राष्ट्र सेवा संघ महाराष्ट्र के अध्यक्ष राजा भाऊ सोनटक्के ने राज्य सरकार और मनपा आयुक्त से स्वास्थ्य विभाग का बजट बढ़ाने की मांग की है। मनपा आयुक्त को लिखे पत्र में हिंदू राष्ट्र सेवा संघ महाराष्ट्र के अध्यक्ष राजा भाऊ सोनटक्के ने बताया जाता मुंबई नगर और उपनगरों की जनसंख्या दिनों दिन बढ़ती जा रही है। एक आंकड़े के अनुसार मौजूदा समय में मुंबई और उपनगर की जनसंख्या 2.25 अर्थात् सवा दो करोड़ पहुंच चुकी है। जहां तक मनपा द्वारा संचालित अस्पतालों की बात है तो नागर,

के.एम., सायन, बांद्रा भाभा, अंधेरी कूपर, घाटकोपर का राजावाड़ी और गोवंडी के मदन मोहन मालवीय, कादिवली का शताब्दी ये बड़े अस्पताल हैं। जहां प्रतिदिन हजारों की संख्या में इलाज के लिए मरीज आते हैं। लेकिन पिछले कुछ समय में मनपा अस्पतालों में दवाओं की घोर किल्लत व्याप्त है। डॉक्टर दवाइयां लिख रहे हैं, लेकिन अस्पताल में दवाइयां नहीं मिल रही हैं। जिसके कारण मरीजों को ज्यादातर दवाइयां मेडिकल स्टोर्स से खरीदनी पड़ रही हैं। दवाएं इतनी महंगी है कि गरीब लोग पैसे की कमी के कारण ले नहीं पा रहे हैं। जबकि मनपा के अस्पतालों, क्लीनिकों, स्वास्थ्य केंद्रों और प्रसूति वाडों में मरीजों को मुफ्त दवाइयां देने का नियम है। राजा भाऊ सोनटक्के ने यह भी बताया कि मनपा द्वारा संचालित अस्पतालों में सोनोग्राफी, एम आर आई, एक्सरे, सिटी स्कैन की मशीनों का भी पुराना हो चुकी है।

रंगों में धुले प्रेम और सौहार्द का त्योहार है होली: मंत्री राजवाड़े ने दी होली की शुभकामनाएँ

छत्तीसगढ़ फ्रंटलाइन

रायपुर। महिला एवं बाल विकास तथा समाज कल्याण मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े ने रंगों के पावन पर्व होली के अवसर पर प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएँ दी हैं। मंत्री श्रीमती राजवाड़े ने अपने संदेश में कहा है कि होली केवल रंगों का त्योहार नहीं, बल्कि आपसी प्रेम, भाईचारे और सामाजिक समरसता का प्रतीक है। यह पर्व हमारे जीवन में नई ऊर्जा, उल्लास और सकारात्मकता का संचार करता है तथा भेदभाव मिटाकर सभी को एक



सूत्र में पिरोने का संदेश देता है। उन्होंने कामना की कि यह होली

सभी के जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और खुशहाली लेकर आए। साथ ही उन्होंने प्रदेशवासियों से अपील की कि त्योहार मनाते समय प्राकृतिक रंगों का उपयोग करें, जल संरक्षण का ध्यान रखें तथा पर्यावरण को स्वच्छ और सुरक्षित बनाए रखने में अपना सक्रिय सहयोग दें। मंत्री श्रीमती राजवाड़े ने कहा कि पारंपरिक मूल्यों और सामाजिक जिम्मेदारी के साथ मनाई गई होली ही सच्चे अर्थों में आनंद और सौहार्द का उत्सव बनती है तथा समाज में प्रेम, भाईचारे और आपसी विश्वास को और अधिक मजबूत करती है।

त्योहार की आड़ में कानून से खिलवाड़ नहीं होगा बर्दाश्त, जबरन रंग डालने पर होगी एफआईआर

छत्तीसगढ़ फ्रंटलाइन

रायपुर। रायपुर पुलिस कमिश्नर ने कानून-व्यवस्था को लेकर होली पर्व से पहले सख्त एडवाइजरी जारी की है। पुलिस ने स्पष्ट किया है कि किसी भी व्यक्ति की इच्छा के विरुद्ध रंग या पानी डालना दंडनीय अपराध माना जाएगा। जबरन रंग डालने, पानी फेंकने या हुड़दंग मचाने वालों के खिलाफ सख्ती से एफआईआर दर्ज की जाएगी। पुलिस प्रशासन का कहना है कि त्योहार की आड़ में कानून से खिलवाड़ किसी भी सूत्र में बर्दाश्त

नहीं किया जाएगा। आम नागरिकों से शांति और सौहार्द के साथ होली मनाने की अपील की गई है।

मुखौटे की बिक्री और उपयोग वर्जित

अपराधियों की पहचान सुनिश्चित करने के लिए होली के दौरान मुखौटे (मास्क) की बिक्री और उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। अधिकारियों के अनुसार, कई बार असांजिक तत्व पहचान छिपाने के लिए मुखौटों का सहारा लेते हैं, जिससे कार्रवाई में दिक्कत आती है।



पुलिस ड्रोन से करेगी निगरानी

इस बार सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करने के लिए पुलिस ड्रोन कैमरों का सहारा ले रही है।

हुड़दंग करने वालों पर सख्ती के निर्देश

होली के मद्देनजर राधानाथी में 3000 से ज्यादा पुलिस जवान तैनात किए गए हैं। सोमवार शाम से बुधवार शाम तक लगातार ड्यूटी के निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा ड्रिंक एंड ड्राइव, ट्रिपल राइडिंग और सड़क पर हुड़दंग करने वालों के खिलाफ विशेष अभियान चलाया जाएगा। पेट्रोलिंग टीमों को सख्ती से कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं।

प्रकृति संरक्षण और सामाजिक समरसता का संदेश देता है होली का पर्व: केदार कश्यप

प्रदेशवासियों से प्राकृतिक रंगों के उपयोग और जल संरक्षण की अपील

छत्तीसगढ़ फ्रंटलाइन

रायपुर। वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री केदार कश्यप ने रंगों के पावन पर्व होली के अवसर पर प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएँ दी हैं। मंत्री कश्यप ने अपने संदेश में कहा है कि होली केवल रंगों का त्योहार नहीं, बल्कि प्रेम, भाईचारे और सामाजिक समरसता का प्रतीक है। यह पर्व जीवन में नई ऊर्जा, उत्साह और सकारात्मकता का संचार

करता है तथा सभी भेदभावों को भुलाकर एक-दूसरे के साथ मिलकर आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। उन्होंने कामना की कि यह होली सभी के जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और खुशहाली लेकर आए। वन मंत्री ने प्रदेशवासियों से अपील की कि होली का पर्व प्राकृतिक एवं हर्बल रंगों के साथ मनाएँ, जल



संरक्षण का विशेष ध्यान रखें तथा पर्यावरण को स्वच्छ और सुरक्षित बनाए रखने में अपना सक्रिय योगदान दें। उन्होंने कहा कि पारंपरिक मूल्यों और सामाजिक जिम्मेदारी के साथ मनाई गई होली ही सच्चे अर्थों में आनंद और सौहार्द का पर्व बनती है। साथ ही उन्होंने सभी से प्रकृति संरक्षण का संकल्प लेने का आह्वान किया, ताकि आने वाली पीढ़ियों को स्वच्छ और हरित वातावरण मिल सके।

प्रेम और सद्भाव के रंगों से सराबोर हो होली: मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों को दी शुभकामनाएँ

छत्तीसगढ़ फ्रंटलाइन

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने रंगों के पावन पर्व होली के अवसर पर प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएँ दी हैं। उन्होंने कामना की है कि यह उल्लास, उमंग और आत्मीयता का महापर्व सभी के जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और नई ऊर्जा का संचार करे। मुख्यमंत्री ने कहा कि होली केवल रंगों का उत्सव नहीं, बल्कि यह आपसी प्रेम, सौहार्द और भाईचारे को सशक्त बनाने का अवसर है। यह पर्व समाज में समरसता, सद्भाव और



एकता की भावना को प्रगाढ़ करता है तथा हमें सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। उन्होंने कहा कि भारतीय संस्कृति में होली का विशेष महत्व है। यह पर्व बुराई पर अच्छाई की

विजय, अहंकार पर विनम्रता की जीत और वैमनस्य पर प्रेम की प्रथानता का संदेश देता है। होली के रंग हमें स्मरण कराते हैं कि विविधताओं से परिपूर्ण हमारे समाज की वास्तविक शक्ति परस्पर

विश्वास, अपनत्व और सामूहिक सहयोग में निहित है। मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों से अपील की कि वे इस पर्व को हर्षोल्लास, संयम और पारंपरिक मर्यादाओं के साथ मनाएँ। प्राकृतिक रंगों का उपयोग कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दें तथा समाज के वर्चस्व एवं जबरन बर्दाश वगैरे के साथ भी इस उत्सव की खुशियाँ साझा करें। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि प्रेम, सद्भाव और भाईचारे के रंगों से सजी यह होली छत्तीसगढ़ की एकता, सामाजिक समरसता और सांस्कृतिक गौरव को और अधिक सुदृढ़ करेगी।

फल प्रवर्धन एवं उत्पादन तकनीकी पर एक दिवसीय कृषक प्रशिक्षण आयोजित

छत्तीसगढ़ फ्रंटलाइन

अम्बिकापुर। परिक्षेत्रीय कृषि अनुसंधान केन्द्र, अजिरमा में सह-संचालक अनुसंधान डॉ. के.एल. पैकरा के मार्गदर्शन में अखिल भारतीय समन्वित फल अनुसंधान परियोजना के अंतर्गत एक दिवसीय कृषक प्रशिक्षण आयोजित किया गया। जिसमें लगभग 45 कृषकों ने सहभागिता की। सह-संचालक अनुसंधान द्वारा कृषकों को संबोधित कर फलदार पौधों में प्रवर्धन के महत्व के बारे में जानकारी दिया गया। प्रशिक्षण में आम एवं लीची सहित फलदार पौधों के वानस्पतिक प्रवर्धन की उन्नत तकनीकों का प्रायोगिक प्रदर्शन किया गया। श्रीमती अरुणिमा त्रिपाठी ने आधुनिक फल उत्पादन तकनीकों, डॉ. सीताराम दुबोलिया ने प्रसार गतिविधियों, डॉ. आर.एस.सिदार ने संतुलित उर्वरक प्रबंधन तथा डॉ. रंजीत कुमार ने पौधों की



सुरक्षित पैकेजिंग एवं रोपण उपरांत देखभाल के महत्वपूर्ण पहलुओं पर मार्गदर्शन दिया। डॉ. जहार सिंह ने फलों के रोग प्रबंधन पर जानकारी दी। डॉ. योगेन्द्र ने आम में ग्राफ्टिंग एवं डॉ. शशि किरण मिंज ने लीची में गूटी (एयर लेयरिंग) की तकनीक का प्रदर्शन किया। प्रशिक्षण के दौरान डॉ. दुर्गेश्वरी, डॉ. लक्ष्मी सिंह एवं अन्य वैज्ञानिकगण उपस्थित रहे। यमलेश निपाद

एवं कु. शिवानी मिश्रा द्वारा कृषक पंजीयन के साथ, प्रशिक्षण से पूर्व एवं पश्चात प्रश्नावली के माध्यम से प्रतिभागियों/कृषकों के ज्ञान स्तर का आकलन किया गया। फल प्रक्षेत्र एवं हाईटेक नर्सरी का भ्रमण मेवालाल द्विवेदी द्वारा कराया गया। अंत में खुली परिचर्चा एवं लीची पौध वितरण के साथ कार्यक्रम का समापन हुआ।

इंडिया स्किल 2025-26 में छत्तीसगढ़ को मिली ऐतिहासिक सफलता

छत्तीसगढ़ फ्रंटलाइन

रायपुर। युवाओं की प्रतिभा, तकनीकी दक्षता एवं नवाचार क्षमता को राष्ट्रीय मंच प्रदान करने के उद्देश्य से भारत सरकार का कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय द्वारा आयोजित इंडिया स्किल प्रतियोगिता 2025-26 में छत्तीसगढ़ राज्य के युवाओं ने ईस्ट जोन रीजनल प्रतियोगिता में 12 पदक और 04 मेडल ऑफ एक्सीलेंस अर्जित कर उल्लेखनीय उपलब्धि प्राप्त की है। यह प्रतियोगिता क्रमशः चार चरणों में जिला, राज्य, रीजनल एवं राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित की जा रही है। राष्ट्रीय स्तर पर चयनित प्रतिभागियों को वर्ल्ड स्किल्स इंटरनेशनल के अंतर्गत भारत का प्रतिनिधित्व करने का अवसर प्राप्त होगा। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने प्रदेश के युवाओं को बधाई देते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ के युवाओं ने यह सिद्ध कर दिया है



कि वे राष्ट्रीय ही नहीं, वैश्विक स्तर पर भी प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम हैं। राज्य सरकार कौशल विकास को प्राथमिकता देते हुए आधुनिक प्रशिक्षण, नवाचार और उद्योगोन्मुख पाठ्यक्रमों को बढ़ावा दे रही है। यह सफलता सशक्त युवा, समृद्ध छत्तीसगढ़ के संकल्प को साकार करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। ईस्ट जोन की रीजनल प्रतियोगिता का समापन 02 मार्च 2026 को भुवनेश्वर में हुआ, जिसमें ओडिशा, बिहार, पश्चिम बंगाल, झारखंड,

छत्तीसगढ़ एवं अंडमान-निकोबार द्वीपसमूह के 200 से अधिक प्रतिभागियों ने 59 कौशल श्रेणियों में भाग लिया। छत्तीसगढ़ के प्रतिभागियों ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए कुल 12 पदक एवं 04 मेडल ऑफ एक्सीलेंस सम्मान अर्जित किए, जिनमें 01 स्वर्ण, 02 रजत, 05 कांस्य पदक तथा 04 मेडल ऑफ एक्सीलेंस शामिल हैं। डिजिटल इंटरैक्टिव मीडिया में सुनील कुमार पतेल ने स्वर्ण पदक, 3डी डिजिटल गेम आर्ट में खुशांक नायक, सीएनसी मिलिंग में पुष्कर

सोनबर एवं सीएनसी टर्निंग में आत्माराम ने रजत पदक अर्जित कर राज्य को गौरवान्वित किया। इसी तरह सीएनसी मिलिंग में निखिल, इलेक्ट्रॉनिक्स में अभिषेक कुमार, प्लंबिंग एवं हीटिंग में रेशमान, वेब टेक्नोलॉजी में सतेंद्र कुमार ने कांस्य पदक जीतकर छत्तीसगढ़ का गौरव बढ़ाया। इसी तरह रेन्यूबल एनर्जी में नोहर लाल पतेल, मेकेनिकल इंजीनियरिंग में ओम बंजारे, हेल्थ एंड सोशल केयर में अंतरा मुखर्जी ने मेडल ऑफ एक्सीलेंस प्राप्त

किया। उल्लेखनीय है कि राज्य में प्रतियोगिता का सफल आयोजन छत्तीसगढ़ राज्य कौशल विकास प्राधिकरण द्वारा किया गया। 19 कौशल ट्रेड्स में आयोजित जिला स्तरीय प्रतियोगिता में 3327 प्रतिभागियों ने भाग लिया, जिनमें से 381 प्रतिभागी राज्य स्तरीय प्रतियोगिता हेतु चयनित हुए। राज्य स्तरीय प्रतियोगिता 03 एवं 04 फरवरी 2026 को रायपुर, दुर्ग एवं रायगढ़ जिलों के प्रतिष्ठित संस्थानों में संपन्न हुई। व्यावहारिक मूल्यांकन के पश्चात 38 प्रतिभागियों का चयन रीजनल स्तर के लिए किया गया। रीजनल स्तर पर सफल प्रतिभागी अब राष्ट्रीय प्रतियोगिता में राज्य का प्रतिनिधित्व करेंगे। राज्य में पहली बार कौशल तिहार 2025 एवं मोबाइल आधारित एमसीक्यू पुरीजा जैसे नवाचारों के माध्यम से प्रतियोगिता का व्यापक एवं पारदर्शी संचालन किया गया।

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं सक्षम प्राधिकारी भू-अर्जन मनेन्द्रगढ़ जिला: मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर (छ.ग.)
क्रमांक 4763/वाचक-1/भू-अर्जन/2026 मनेन्द्रगढ़ दिनांक 16.02.2026
रेल अधिनियम, 1989 की धारा-20 च (4) के अन्तर्गत लोक-सूचना

विषय :- प्रस्तावित रेलवे परियोजना हेतु भूमि/संरचना के अधिग्रहण के पूर्व प्रतिकर राशि के निर्धारण एवं आपत्तियों हेतु लोकसूचना।
 यह विदित हो, कि रेल अधिनियम, 1989 के अंतर्गत बौरीडांड-सूरजपुर खण्ड के बीच रेलवे लाईन का दोहरीकरण परियोजना के निर्माण हेतु निम्नलिखित ग्रामों की भूमि/संरचनाओं को अधिग्रहण हेतु प्रस्तावित किया गया है।
 उक्त अधिग्रहण हेतु प्राथमिक प्रतिकर राशि (Provisional Compensation) की गणना की जा रही है। इस संबंध में निम्न विवरण प्रस्तुत है :-
1. प्रस्तावित अधिग्रहित भूमि/संरचना का विवरण -

क्रमांक	ग्राम/नगर	अधिग्रहण का विवरण	बरबसपुर मनेन्द्रगढ़
1	ग्राम/नगर		बरबसपुर मनेन्द्रगढ़
2	तहसील		मनेन्द्रगढ़
3	जिला		मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर
4	खसरा/प्लॉट नंबर एवं अर्जन हेतु प्रस्तावित क्षेत्रफल	क्र. खसरा नं० रकबा	
		01 968 0.260	
		02 967 0.070	
		03 966 0.030	
		04 965 0.110	
		05 964 0.090	
		06 963 0.040	
		07 961 0.040	
		08 960 0.030	
		09 959 0.040	
		10 944 0.020	
		11 945 0.040	
		12 946 0.050	
		13 947 0.040	
		14 954 0.100	
		15 955 0.050	
		16 956 0.020	
		17 957 0.010	
		कुल खसरे-17 1.040 हे०	
5	भूमि का प्रकार -कृषि योग्य/अकृषि/आवासीय/व्यावसायिक आदि		प्रपत्र-क अनुसार

क्रमांक	अधिग्रहण भूमि के प्रतिकर राशि का विवरण	प्रपत्र-क अनुसार
1	छत्तीसगढ़ बाजार मूल्य निर्धारण संबंधी उपबंध 2025-26 का एवं वर्तमान बाजार मूल्य।	प्रपत्र-क अनुसार
2	भूमि का उपयोग/प्रकृति	प्रपत्र-क अनुसार
3	संरचना/फसल/वृक्षों का मूल्यांकन	प्रपत्र-ख अनुसार
4	रेलवे परियोजना से प्रभावित अन्य परिसंपत्तियों का मूल्य	प्रपत्र-क अनुसार
5	अधिनियम/नियमों के अनुसार देय अन्य लाभ	प्रपत्र-क अनुसार
6	स्वामी/दावेदार का नाम	प्रपत्र-क अनुसार

3. आपत्ति/दावा प्रस्तुत करने की सूचना -
 उक्त प्राथमिक प्रतिकर गणना के संबंध में यदि किसी व्यक्ति को भूमि स्वामित्व, क्षेत्रफल, वर्गीकरण, मूल्यांकन एवं प्रतिकर राशि के संबंध में कोई आपत्ति, दावा या अतिरिक्त दस्तावेज प्रस्तुत करना चाहते हों, तो स्वयं या अपने प्रतिनिधि के माध्यम से निम्नलिखित अवधि एवं स्थान पर सक्षम प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करें -

- आपत्ति ग्राह्य करने की अवधि तिथि - 16/02/2026 से 16/03/2026 तक (अवकाश दिवस-प्रत्येक शनिवार, रविवार एवं अन्य घोषित शासकीय अवकाश को छोड़कर)
- प्रस्तुति का स्थान - न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी(रा०) मनेन्द्रगढ़, जिला मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर(छ०ग०)
- समय - प्रातः 12:00 से दोपहर 03:00 बजे तक

4. महत्वपूर्ण सूचना -
 1. नियत समय के भीतर प्राप्त दावों/आपत्तियों पर विचार किया जाएगा।
 2. उचित प्रक्रिया पश्चात् प्रतिकर राशि का अंतिम अवाई पारित किया जाएगा।
 3. प्रभावित भू-स्वामियों को सुनवाई हेतु पृथक से सूचना जारी की जावेगी।

5. सम्पर्क अधिकारी -
 नाम : लिंगराज सिदार
 पद : अनुविभागीय अधिकारी (रा०) एवं प्राधिकृत अधिकारी
 कार्यालय : अनुविभागीय अधिकारी (रा०) मनेन्द्रगढ़, जिला मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर(छ०ग०)
 सम्पर्क नं : 9806562251
 ई-मेल : sdmmannendragarh@gmail.com

मुआवजा गणक पत्रक (अनुलग्नक -क)

क्र.	हितकथ व्यक्ति/भूमि स्वामी का नाम	खसरा नम्बर	अर्जित भूमि का क्षेत्रफल (रकबा) हेक्टे. में	भूमि विधि/अर्जित/अस्थिर	प्रतिकर दर हेक्टे. में (रु. में)	मूल्य भाग दर प्रति भूमि की दर	अर्जित भूमि का मूल्य (प्रति रकबा की राशि रुपये में)	भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 के अंतर्गत प्राथमिक क्षेत्र का पुर्णांक (2.0) सहित बाजार मूल्य	भूमि अर्जन पुनर्वसन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 105 के संशोधन क धारा 30(3)के अन्तर्गत 12 प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से 8 माह की अवधि तक वार्षिक (संलग्न 10 वर 8 प्रतिशत)	कुल अर्जित भूमि का मूल्य (रु. में)	कुल अर्जित भूमि का मूल्य (रु. में)						
												सिंचित	असिंचित				
1	मु.सैनकुंवर बेवा देवनारायण मु.फुलकुंवर बेवा रमाकांत ना.बा.मानसी पिता रमाकांत, संतोष, अहिन्दा, मीना पिता देवनारायण	968	0.260	असिंचित	1850000	1480000	4433000	384800	769600	0	0	0	0	769600	769600	30476	1569676
2	श्रवण कुमार आठ कुन्दन कुमार	967	0.070	असिंचित	1850000	1480000	4433000	103600	207200	0	0	0	0	207200	207200	8205	422605
3	मु.सैनकुंवर बेवा देवनारायण मु.फुलकुंवर बेवा रमाकांत ना.बा.मानसी पिता रमाकांत, संतोष, अहिन्दा, मीना पिता देवनारायण	966	0.030	असिंचित	1850000	1480000	4433000	44400	88800	0	0	0	0	88800	88800	3516	181116
4	सुभारसाय पिता रामरूप	965	0.110	असिंचित	1850000	1480000	4433000	162800	325600	0	0	0	0	325600	325600	12894	664094
5	सुभारसाय पिता रामरूप	964	0.090	असिंचित	1850000	1480000	4433000	133200	266400	0	0	0	0	266400	266400	10549	543349
6	सुभारसाय पिता रामरूप	963	0.040	असिंचित	1850000	1480000	4433000	59200	118400	0	0	0	0	118400	118400	4689	241489
7	जगन्नाथ, पतिशाल,प्रेमलाल पिता सुब्रह्मण्य देवनारायण,गणेशप्रसाद, आठ हिरासाय,उर्मिलदेवी, लक्ष्मी, राजकुमारी, कान्ति पिता हीरालाल,	961	0.040	असिंचित	1850000	1480000	4433000	59200	118400	0	0	0	0	118400	118400	4689	241489
8	सुभारसाय पिता रामरूप	960	0.030	असिंचित	1850000	1480000	4433000	44400	88800	0	0	0	0	88800	88800	3516	181116
9	अमृत बाई, पति अजमेर सिंह, मानमति पुत्री ठाकुर, ना.बा.नरेन्द्रसिंह, ना.बा.बिरेन्द्र सिंह ना.बा.धर्मन सिंह आठ अजमेर सिंह, सुनीला, उर्मिला आठ राय सिंह, मु.लक्ष्मणिया पति रायसिंह, जगमनबाई आठ ठाकुर	959	0.040	असिंचित	1850000	1480000	4433000	59200	118400	0	0	0	0	118400	118400	4689	241489
10	मानसीबाई पिता जगसिंह, ककयन पुत्री रघुनाथ सिंह	944	0.020	असिंचित	1850000	1480000	4433000	29600	59200	0	0	0	0	59200	59200	2344	120744
11	रामवती बेवा कचरूक जगतनारायण सिंह, शंकर आठ बन्धु,गणेशिया बेवा लक्ष्मण,बसन्त सिंह,रविन्द्र सिंह,गोविन्द सिंह आठ गुलाब सिंह,मु.लक्ष्मणिया बेवा गुलाब सिंह,	945	0.040	असिंचित	1850000	1480000	4433000	59200	118400	0	0	0	0	118400	118400	4689	241489
12	जगतनारायण सिंह, शंकर आठ बन्धु, गणेशिया बेवा लक्ष्मण, बसन्त सिंह, रविन्द्र सिंह, गोविन्द सिंह आठ गुलाब सिंह, मु.लक्ष्मणिया बेवा गुलाब सिंह,	946	0.050	असिंचित	1850000	1480000	4433000	74000	148000	0	0	0	0	148000	148000	5861	301861
13	जगतनारायण सिंह, शंकर आठ बन्धु, गणेशिया बेवा लक्ष्मण, बसन्त सिंह, रविन्द्र सिंह, गोविन्द सिंह आठ गुलाब सिंह, मु.लक्ष्मणिया बेवा गुलाब सिंह,	947	0.040	असिंचित	1850000	1480000	4433000	59200	118400	0	0	0	0	118400	118400	4689	241489
14	अमृत बाई, पति अजमेर सिंह, मानमति पुत्री ठाकुर, ना.बा.नरेन्द्रसिंह, ना.बा.बिरेन्द्र सिंह ना.बा.धर्मन सिंह आठ अजमेर सिंह, सुनीला, उर्मिला आठ राय सिंह, मु.लक्ष्मणिया पति रायसिंह, जगमनबाई आठ ठाकुर	954	0.100	असिंचित	1850000	1480000	4433000	148000	296000	0	0	0	0	296000	296000	11722	603722
15	सुभारसाय पिता रामरूप	955	0.050	असिंचित	1850000	1480000	4433000	74000	148000	0	0	0	0	148000	148000	5861	301861
16	प्रभुनारायण आठ नन्दलाल साहू	956	0.020	असिंचित	1850000	1480000	4433000	29600	59200	0	0	0	0	59200	59200	2344	120744
17	ब्रजलक्ष्मी, पुतापाल, रामदास आठ कमला, मनोहरिया बेवा नवलसाय, महेंद्र सिंह, सुरेन्द्र सिंह, सुचन्द्रबाई, अर्जुनिया, सुचन्द्रमणिता पिता जगमनलाल, मानकुंदर बेवा जगमनलाल	957	0.010	असिंचित	1850000	1480000	4433000	14800	29600	0	0	0	0	29600	29600	1172	60372
	योग	17	1.040		31450000	25160000	75361000	1539200	3078400	0	0	0	0	3078400	3078400	121905	6278705

बौरीडांड-सूरजपुर रेलवे दोहरीकरण परियोजना में प्रभावित होने वाले परिसंपत्तियों का संयुक्त जांच रिपोर्ट
ग्राम बरबसपुर रा०नि०मं० नागपुर तह० मनेन्द्रगढ़ जिला-एम०सी०बी० (छ०ग०)

क्रमांक	भूमि स्वामी का नाम	खसरा नं.	अर्जित रकबा हे० में	परिसंपत्तियों का विवरण	परिसम्पत्तियों का माप (मी./से.मी.)	परिसम्पत्तियों का माप (वर्ग मीटर में)	परिसम्पत्तियों का माप (वर्गफुट)	दर(प्रति वर्गफुट)	परिसम्पत्तियों का मुआवजा राशि
				निरंक					0.00

अनुविभागीय अधिकारी (रा.) मनेन्द्रगढ़ जिला : एमसीबी (छ.ग.)
 जी-252606981 / 1

कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) धौरपुर, जिला सरगुजा (छ.ग.)
ईशतहार
 धौरपुर, दिनांक 27.02.2026
 क्रमांक/717/खाद्य/अ०वि०अ०/2026 :: एतद द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि ग्राम पंचायत लालमाटी अंतर्गत ग्राम गंझाडांड में नवीन शासकीय उचित मूल्य दुकान खोलना प्रस्तावित है। अतएव शासकीय उचित मूल्य दुकान के गंझाडांड के संचालन हेतु इच्छुक एजेंसी जो छ०ग० सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश 2016 के अंतर्गत संचालन हेतु पात्र हैं, वे अपना आवेदन पत्र विहित प्रारूप में सम्पूर्ण विवरण एवं दस्तावेज यथा पंजीयन प्रमाण पत्र, प्रस्ताव, कार्यवाही पंजी, बैंक पास बुक की सत्यापित छायाप्रति के साथ आवेदन पत्र दिनांक 12.03.2026 तक कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (रा०) धौरपुर में जमा कर सकते हैं। समय- सीमा के बाद प्राप्त आवे. दन-पत्रों पर विचार नहीं किया जावेगा। आज दिनांक 25.02.2026 को मेरे हस्ताक्षर पदमुद्रा से जारी।
 (जे. आर. सतरंज)
 अनुविभागीय अधिकारी (रा.)
 धौरपुर
 जी-252606986/1

कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) धौरपुर, जिला सरगुजा (छ.ग.)
ईशतहार
 धौरपुर, दिनांक 27.02.2026
 क्रमांक/719/खाद्य/अ०वि०अ०/2026 :: एतद द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि ग्राम पंचायत जमीरा अंतर्गत ग्राम खुर्णडीह/बतौली में नवीन शासकीय उचित मूल्य दुकान खोलना प्रस्तावित है। अतएव शासकीय उचित मूल्य दुकान के खुर्णडीह/बतौली के संचालन हेतु इच्छुक एजेंसी जो छ०ग० सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश 2016 के अंतर्गत संचालन हेतु पात्र हैं, वे अपना आवेदन पत्र विहित प्रारूप में सम्पूर्ण विवरण एवं दस्तावेज यथा पंजीयन प्रमाण पत्र, प्रस्ताव, कार्यवाही पंजी, बैंक पास बुक की सत्यापित छायाप्रति के साथ आवेदन पत्र दिनांक 12.03.2026 तक कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (रा०) धौरपुर में जमा कर सकते हैं। समय- सीमा के बाद प्राप्त आवेदन-पत्रों पर विचार नहीं किया जावेगा। आज दिनांक 28.02.2026 को मेरे हस्ताक्षर पदमुद्रा से जारी।
 (जे. आर. सतरंज)
 अनुविभागीय अधिकारी (रा.)
 धौरपुर
 जी-252606987/2

कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) धौरपुर, जिला सरगुजा (छ.ग.)
ईशतहार
 धौरपुर, दिनांक 27.02.2026
 क्रमांक/713/खाद्य/अ०वि०अ०/2026 :: एतद द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि ग्राम पंचायत बबौली अंतर्गत ग्राम जमोनी में नवीन शासकीय उचित मूल्य दुकान खोलना प्रस्तावित है। अतएव शासकीय उचित मूल्य दुकान के जमोनी के संचालन हेतु इच्छुक एजेंसी जो छ०ग० सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश 2016 के अंतर्गत संचालन हेतु पात्र हैं, वे अपना आवेदन पत्र विहित प्रारूप में सम्पूर्ण विवरण एवं दस्तावेज यथा पंजीयन प्रमाण पत्र, प्रस्ताव, कार्यवाही पंजी, बैंक पास बुक की सत्यापित छायाप्रति के साथ आवेदन पत्र दिनांक 12.03.2026 तक कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (रा०) धौरपुर में जमा कर सकते हैं। समय- सीमा के बाद प्राप्त आवे. दन-पत्रों पर विचार नहीं किया जावेगा। आज दिनांक 25.02.2026 को मेरे हस्ताक्षर पदमुद्रा से जारी।
 (जे. आर. सतरंज)
 अनुविभागीय अधिकारी (रा.)
 धौरपुर
 जी-252606984/4

दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे अधिसूचना
 दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे/बिलासपुर मंडल के परिचालन विभाग में मासिक वेतन के आधार पर Pointsman पद में काम करने के लिए संविदा आधार पर 74 पूर्व सैनिकों से आवेदन मांगे गए हैं, जिसका विवरण नीचे दिया गया है:

क्र.सं.	विभाग	पद	कुल खाली पद	पे लेवल	नियम और शर्तें
1.	परिचालन	Pointsman	74	1	केवल पूर्व सैनिकों के लिए

नोट:-
 1. साधारण डाक द्वारा, आवेदन के लिफाफे पर "पूर्व सैनिकों को संविदा आधार पर पॉइंट्समैन के रूप में भर्ती" शीर्षक लिखकर वरिष्ठ मंडल कार्मिक अधिकारी, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे, बिलासपुर मंडल, बिलासपुर-495004 को भेजें।
अथवा
 2. कवर पर "संविदा आधार पर पॉइंट्समैन के रूप में पूर्व सैनिकों की भर्ती" हेडिंग लिखकर आवेदन को कार्मिक विभाग में, मंडल रेल प्रबंध कार्यालय, बिलासपुर-495004 में फिजिकली जमा करें।
आवेदन जमा करने की आखिरी तारीख है 16-03-2026
 विस्तृत अधिसूचना एवं आवेदन पत्र का प्रारूप उपलब्ध है <https://secr.indianrailways.gov.in>.
 a. (Recruitment / News / Press Release → Recruitment → Bilaspur)
 b. (Dept./Div. of SECR-Division-BILASPUR-Personnel-Notification)
 सहायक कार्मिक अधिकारी-I
 सीपीआर/10/734 कृते वरिष्ठ मंडल कार्मिक अधिकारी/बिलासपुर
 South East Central Railway X@secrail

